न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.प्रकरण कोटा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनुपमा राजीव बिजलानी **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

विशिष्ट सेशन प्रकरण संख्या : 02/2018

राजस्थान राज्य

बनाम

1. मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठू मांझी जाति मांझी बंगाली निवासी मकान नम्बर 225–जी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर, कोटा (राजस्थान) (बरजमानत)

——अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः
प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985

——

उपस्थिति :
1. श्री संजीव विजय, विशिष्ट लोक अभियोजक वास्ते राज.राज्य।
2. श्री अमर सिंह नरूका, अधिवक्ता–अभियुक्त।

निर्णय दिनांक : 22.01.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.09.2017 को एसआई हकीम बख्श मय जाब्ता कांस्टेबिल राकेश कुमार, कांस्टेबिल जाकिर हुसैन मय प्राइवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से समय 02:41 पीएम पर वास्ते गश्त इलाका व चैंकिंग गुण्डा बदमाशान व अवैध कार्य हेतु रवाना होकर गश्त करता हुआ अनंतपुरा तिराहा, बरडा बस्ती, केशर रोड़ होता हुआ समय 03:55 पीएम पर फोरलेन पुलिया के नीचे बंधा धर्मपुरा रोड़ पर पहुंचा कि बंधा धर्मपुरा की ओर से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे एक व्यक्ति ने बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर मोटरसाइकिल को सरस डेयरी के पास रोक कर वापस मुड़ने ही वाला था कि संदेह होने पर जाब्ता की मदद से रोककर नाम पता पूछा तो घबराते हुए मिथुर मांझी पुत्र मिटठू मांझी जाति मांझी उम्र 22 साल निवासी मकान नम्बर 225–जी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर कोटा का होना बताया। मोटरसाइकिल होण्डा वीवो काले रंग की रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे–20–जेएस–6571 की टंकी पर रखे हुए एक सफेद प्लास्टिक के कटटे में रखे सामान के बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिस पर संदिग्ध व्यक्ति को वापस मुड़कर जाने पर शंका होने से मिथुन मांझी व उसके पास के कटटे की तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु हुक्मनामा देकर कांस्टेबिल राकेश कुमार को समय 04:05 पीएम पर

रवाना किया जिसने 04:25 पीएम पर वापस आकर हुक्मनामा मय रिपोर्ट पेश किया व बताया कि आस–पास आबादी नहीं होने से तथा राहगीरों के रोककर कहने पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं हुए न ही नाम पते बताये। इस पर हमराही जाब्ता में से राकेश कुमार व जाकिर हुसैन को नोटिस दिया जाकर स्वतंत्र गवाह मामूर हेतु लिखित में सहमति प्राप्त की जाकर स्वतंत्र गवाह मामूर किये जाकर एसआई हकीम बख्श द्वारा दोनों गवाहान की तलाशी ली तथा दोनों गवाहान को अपनी तलाशी दी तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिल। तत्पश्चात् एसआई द्वारा संदिग्ध व्यक्ति मिथुन मांझी की मोटरसाइकिल की टंकी पर रखे सफेद प्लास्टिक के कटटे को सूतली से बंधे मुंह को खोलकर देखा तो चौकोर आयताकार आकृति में गांजा जमाकर रखा हुआ पाया जिसमें गांजे के बीच डंठल गुच्छेनुमा जमा कर ठोस आकृति दी हुई पाया। एसआई द्वारा तथा गवाहान द्वारा सूंघकर देखा तो गांजा होना पाया तथा संदिग्ध व्यक्ति मिथुन मांझी ने भी गांजा होना बताया जिस पर उससे मादक पदार्थ रखने व परिवहन करने का लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। जिस पर उक्त मादक पदार्थ गांजा का मय बारदाना वजन किया तो कुल वजन 8 किलो 800 ग्राम तथा शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम हुआ जिसमें से 100–100 ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेम्पल निकालकर प्लास्टिक की थैलियों में रखकर कपड़े की थैलियों में पृथक–पृथक सील मोहर कर मार्का ए व बी दिया। शेष मादक पदार्थ गांजा को उसी कटटे में रखकर सील चिट कर मार्का–सी दिया। उक्त सभी पैकेटों को निजी सील से सील चिट किया जाकर अभियुक्त को धारा 8/20 एनडपीएस एक्ट के अपराध में गिरफ्तार किया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई।

उपरोक्त फर्द चैकिंग व जब्ती मौके पर मूर्तिब की गई, जिसके आधार पर वापसी थाना आकर मुकदमा नंबर 349/2017 धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे आगे ''अधिनियम'' शब्द से सम्बोधित किया जाएगा) में दर्ज किया। जब्तशुदा माल को थाने की सील से पुनः सील्ड कर जमा मालखाना कराया। प्रकरण का अनुसंधान रामकरण एसआई के सुपुर्द किया जिन्होंने बाद अनुसंधान अभियुक्त मिथुन मांझी के विरुद्ध धारा 8/20 अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली थानाधिकारी के सुपुर्द की गई जिनके द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

बहस चार्ज उभयपक्ष सुनी जाकर अभियुक्त मिथुन मांझी को धारा 8/20 अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे अभियुक्त ने सुन समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में पी.डब्ल्यू.–1 जाकिर हुसैन, पी.डब्ल्यू.–2 राकेश कुमार,, पी.डब्ल्यू.–3 हेमराज, पी.डब्ल्यू.–4 हरीश, पी.डब्ल्यू.–5 छोटूलाल, पी.डब्ल्यू.6 रामकरण, पी.डब्ल्यू.7

हकीम बख्स, पी.डब्ल्यू.8 अनिल जोशी की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेज़ी साक्ष्य में फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1, नोटिस तलबी गवाह प्रदर्श पी–2, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी–6, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7, नोटिस तलबी गवाहान प्रदर्श पी–8, धारा 57 एनडीपीएस एक्ट की सूचनाएं प्रदर्श पी–9 व पी–10, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, एसपी साहब कोटा शहर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 तथा एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–13, मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–15, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु सीजेएम साहब कोटा को लिखा पत्र प्रदर्श पी–16 है जिस पर सीजेएम साहब द्वारा श्री नीरज मित्तल जेएम–4 उत्तर कोटा को नियुक्त किया, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–4 उत्तर कोटा का पत्र प्रदर्श पी–17, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही से संबंधित न्यायालय की आदेशिकाएं प्रदर्श पी–18 लगायत प्रदर्श पी–21, इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–22, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–23, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा फोटोग्राफी करवाई थी जिसके संबंध में खिंचवाए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–32, धारा 52ए एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के दौरान विडियोग्राफी करवाई गई जिसकी सीडी प्रदर्श पी–33, मालखाना प्रभारी को दिया गया नोटिस धारा 55 अधिनियम प्रदर्श पी–34, नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–35 लगायत प्रदर्श पी–40, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–41 तथा आर्टिकल–1 लगायत आर्टिकल–4 को प्रदर्शित कराया है।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त के कथन अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन तथ्यों को गलत होना बताया तथा अभियुक्त ने कथन किया कि वह निर्दोष है, झूंठा फंसाया है।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस के दौरान विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में जब्ती अधिकारी के द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 04.09. 2017 को समय 04:40 पीएम बजे बमुकाम फोरलेन पुलिया बंधा धर्मपुरा रोड़ सरस डेयरी के पास, कोटा में अभियुक्त का बंधा धर्मपुरा की ओर से मोटरसाइकिल से आते हुए पुलिस जाब्ता को देखकर वापस मुड़कर जाने पर अभियुक्त को रोका व मोटरसाइकिल नम्बर आरजे–20–जेएस–6571 पर रहे प्लास्टिक के कट्टे में चौकोर आयताकार गांजा जमाकर रखा हुआ पाया गया जिसका तौल किये जाने पर शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के जब्त किया गया। मौके पर रासायनिक व कंट्रोल सेम्पल लिये गये

जिन्हें तथा शेष माल को विधिवत तरीके से सील मोहर किया गया और माल व मुल्जिम को थाने पर लाये, माल को पुनः थाने की सील से सील मोहर कर जमा मालखाना किया जहां से रासायनिक जॉच हेतु लिया गया सेम्पल एफएसएल भेजने पर एफएसएल द्वारा परीक्षण किये जाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी–41 के अनुसार जब्तशुदा मादक पदार्थ में से लिया गया नमूना सेम्पल मार्का–ए में मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया है। समस्त गवाहान ने अपनी साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि अभियुक्त मिथुन मांझी के कब्जे में रहे प्लास्टिक के कट्टे में से शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसको कब्जे में रखने व परिवहन करने का कोई अनुज्ञापत्र अभियुक्त के पास नहीं था। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि इस प्रकरण में धारा 50 अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये हैं जबकि मौके की कार्यवाही लोक स्थान पर किया जाना बताया गया है जहां पर अनेक व्यक्तियों का उपस्थित होना बताया गया है उसके उपरांत भी स्वतंत्र गवाहों का न बनाया जाना कार्यवाही की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रकरण के तहत सभी गवाह हितबद्ध साक्षी होकर एक ही विभाग के हैं जिनके कथनों पर विश्वास कारित नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि इस प्रकरण में धारा 55 व 57 अधिनियम की अनुपालना भी सुनिश्चित नहीं की गई है, गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास व विसंगतियां है जिनके रहते हुए गवाहों के कथनों पर विश्वास नही माना जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि मौके पर काम में ली गई सील को न तो जब्त किया गया न ही मालखाना में जमा कराया न ही न्यायालय में पेश किया गया जिससे कार्यवाही की विश्वसनीयता भंग हो जाती है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है और मौके पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि अभियुक्त का अपने किसी मित्र से झगड़ा हो गया था और उसके द्वारा झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिस पर पुलिस झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा ऐसी कोई प्रामाणिक व विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित माना जा सके। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की।

इसके अतिरिक्त लिखित बहस भी पेश करते हुए निवेदन किया कि गवाहों के बयानों में भारी विरोधाभास है। एफआईआर व फर्द जब्ती में घटना के वक्त प्राइवेट वाहनों से जाना बताया है जबकि जब्ती के तीनों गवाह पी.डब्ल्यू.1, 2 व 7 ने अपनी जिरह में दो अलग–अलग मोटरसाइकिलों से घटनास्थल पर जाना बताया है जबकि एफआईआर में मात्र प्राइवेट वाहन

लिखा हुआ है। वाहनों की संख्या व प्रकार नहीं लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जहां पर उक्त तीनों पुलिसकर्मी जाकर खड़े हुए और अभियुक्त को पहली बार देखना बताया वह स्थान नक्शे मौके व गवाहों के बयानों व एफआईआर के हिसाब से बंधा धर्मपुरा जाने वाले रोड़ पर फोरलेन पुलिया के नीचे खड़ा होना बताया जबकि तीनों पुलिसकर्मियों ने अपने बयानों में देखने की दूरी पृथक–पृथक बताई है। अपनी जिरह में तीनों गवाहों के द्वारा यह दूरी अलग–अलग बताई है। इस संबंध में गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं। इसके अतिरिक्त इस संबंध में भी गवाहों के बयानों में विरोधाभास है कि अभियुक्त ने भागने का प्रयास किया था। धारा 50 व 42 अधिनियम के नोटिस की पालना भी नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में यह भी कथन किया है कि अभ्युिक्त की मोटरसाइकिल बंद हो गई या चाबी निकालकर बंद की गई इस सम्बन्ध में भी गवाहों के बयानों में विरोधाभस है एवं अभियुक्त के पूर्व अन्य वाहनों को चैक करने के बारे में भी विरोधाभास हैं और अभियुक्त किस तरफ से आया इस सम्बन्ध में भी गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। योग्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा लिखित बहस में स्वतंत्र गवाह तलाशने के सम्बन्ध में भी बयान विरोधाभासी होना बताये हैं साथ ही एफआईआर के नम्बर भी मौके पर डालना गवाहों के द्वारा स्वीकार किया जाना बताया है और यह कथन किया है कि अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन में कम्प्यूटर कर्मी ने लिये थे जबकि अनुसंधान अधिकारी द्वारा स्यवं ने टाइप करके गवाहों के बयान लिया जाना बताया है, इस सम्बन्ध में गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में यह तथ्य भी वर्णित किया है कि एफएसएल माल ले जाने वाले वाहक ने एफएसएल आने जाने का कोई टिकट पत्रावली पर मौजद नहीं है जिससे साबित नहीं होता कि माल एफएसएल भेजा गया हो। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस में पी. डब्ल्यू.2 व 7 की जिरह के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए यह तथ्य वर्णित किये हैं कि कट्टे को सम्पूर्ण कार्यवाही से पहले अभियुक्त को रोकते ही उतार कर साइड पर रख लिया था जबकि यह तथ्य एफआइआर एवं फर्द जब्ती में अंकित नहीं किया गया है। लिखित बहस में यह तथ्य भी अंकित किया गया है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 कट्टे सहित वजन 8 किलो 740 ग्राम दर्शाया गया है जबकि कट्टे का वजन 8 किलो 800 ग्राम था। इस प्रकार यह प्रकरण भारी विरोधाभासों से भरा हुआ बताते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने के प्रार्थना की।

रिबर्टल में विदवान विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को आकस्मिक चैकिंग के दौरान चैक करने पर उसके अनन्य व चैतन्य कब्जे में रहे प्लास्टिक के कटटे में से मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है और वह भी उसकी व्यक्तिगत तलाशी से न किया जाकर कटटे में से बरामद किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 50 व धारा 42 अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट नहीं

होते हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक का यह भी तर्क रहा कि स्वतंत्र गवाह बनाये जाने के भरसक प्रयास जब्ती अधिकारी के द्वारा किये गये किन्तु कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ इस पर तत्समय जाब्ता में मौजूद रहे पुलिसकर्मीगण को स्वतंत्र गवाह मामूर कर जब्ती की कार्यवाही सम्पादित की गई है। अभियक्त मिथुन मांझी को शक होने के आधार पर उसके पास रहे कटटे की तलाशी किये जाने हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलाश कर लाने के लिए लिखित हुक्मनामा देकर राकेश कुमार कांस्टेबिल को भेजा गया जिसने आस–पास गवाह तलाश करने के पूरे प्रयास किये लेकन कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर संबंधित जब्ती अधिकारी द्वारा जाब्ते में से जाकिर हुसैन व राकेश कुमार को गवाह मामूर कर नियमानुसार कार्यवाही की गई। धारा 55 व 57 अधिनियम की पालना भी सुनिश्चित की गई है। सभी मौके के गवाहों ने पुष्टि की है कि अभियुक्त के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उसके कब्जे में रहे कटटे को चैक करने पर गांजा बरामद हुआ जिसे मौके पर जब्त किया गया और मौके पर जब्त किये गये गांजे में से लिये गये नमूना सेम्पल को पूरी तरह से सीलबंद अवस्था में जॉच हेतु एफएसएल जयपुर भेजा जिसकी एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त हुई। एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक जब्तशुदा पदार्थ को मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया है जिसका कोई अनुज्ञापत्र अभियुक्त के पास नहीं था। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत हमारे समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह रहता है कि क्या दिनांक 04.09.2017 को समय 04:40 पीएम बजे बमुकाम फोरलेन पुलिया बंधा धर्मपुरा रोड़ सरस डेयरी के पास, कोटा में मिथुन मांजी को बंधा धर्मपुरा की ओर से मोटरसाइकिल से आते हुए पुलिस जाब्ता को देखकर वापस मुड़कर जाने पर रोका व मोटरसाइकिल नम्बर आरजे–20–जेएस–6571 पर रहे प्लास्टिक के कट्टे में चौकोर आयताकार गांजा जमाकर रखा हुआ पाया गया जिसका तौल किये जाने पर शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के जब्त किया गया?''

उपरोक्त अवधारणीय प्रश्न के संदर्भ में अभिलेख पर मौजूद मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य संक्षेप में निम्न प्रकार है। गवाहान पी.डब्ल्यू.1 जाकिर हुसैन व पी.डब्ल्यू.2 राकेश कुमार जो कि प्रकरण का स्वतंत्र गवाह होकर जाब्ते के सदस्य रहे हैं। गवाहान ने कथन किया है कि दिनांक 04.09.17 को कानि0 के पद पर थाना अनंतपुरा, कोटा पर तैनात थे उस दिन एसआई साहब हकीम बख्श के साथ प्राइवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से 02:41 पीएम पर गश्त इलाका चैकिंग गुण्डा बदमाशान अवैध कार्य हेतु थाने से रवाना होकर गश्त करते हुए अनंतपुरा तिराहा बरड़ा बस्ती, केशर रोड़ होते हुए फोर लेन पुलिया के नीचे बंधा धर्मपुरा रोड़ पर पहुंचे कि बंधा धर्मपुरा की ओर से मोटरसाइकिल चला कर आ रहे व्यक्ति हम पुलिस जाब्ते को देखकर

मोटरसाइकिल चालक सरस डेयरी के पास वापस मुड़ने ही वाला था कि एसआई साहब को संदेह होने पर उसे जाब्ते की मदद से रोका और एसआई साहब ने उस व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठू मांझी निवासी 225–जी, बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने का होना बतया। मोटरसाइकिल होंडा काले रंग की नं0 आरजे 20 जेएस 6571 की टंकी पर रखे हुए सफेद प्लास्टिक के कट्टे के बारे में एसआई साहब ने पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिस पर एसआई साहब ने मिथुन मांझी पर शक होने से उसके कट्टे की तलाशी लिया जाना अत्यंत आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाह लाने हेतु गवाह जाकिर हुसैन को लिखित में हुक्मनामा देकर रवाना किया जिस पर 20 मिनिट बाद आकर एसआई साहब को बताया कि आस पास आबादी नहीं होने से और राहगीरों को रोककर गवाह बनने की कहने पर भी कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ और न ही किसी ने नाम पते बताये। जिस पर एसआई सा0 ने दोनों की लिखित सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामूर किया। तत्पश्चात एसआई सीअ ने उनकी तलाशी ली तथा दोनों को एसआई साहब ने अपनी तलाशी दी तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात एसआई साहब ने शख्स मिथुन मांझी की मोटरसाइकिल पर रखे प्लास्टिक के कट्टे को जो सूतली से बंधा हुआ था उसके मुंह को खोलकर देखा तो चोकौर आयताकार आकृति में गांजा जमाकर रखा हुआ पाया जिसमें गांजे के बीज डंठल गुच्छेनुमा जमाकर ठोस आकृति के रूप में था। जिसे एसआई साहब ने व उन्होंने सूंघा और देखा तो गांजा होना पाया। एसआई साहब ने मिथुन मांझी से पूछा तो उसने भी गांजा होना बताया। जिस पर एसआई साहब ने शख्स से गांजा अपने कब्जे में रखने का लाइसेंस मांगा तो उसके पास लाइसेंस होना नहीं बताया। एसआई साहब ने गांजे के बारे में पूछा तो शख्स ने नयागांव से एक व्यक्ति से बेचने हेतु लाना बताया। सफेद कट्टे पर शेर ब्रांड वीर आटा चक्की से बना हुआ शुद्ध लिखा हुआ था। एसआई साहब ने इलेक्ट्रोनिक कांटे से गांजे का मय कट्टे के तौल किया तो कुल वजन 8 किलो 800 ग्राम हुआ। कट्टे में से गांजे को निकालकर शुद्ध गांजे का तौल किया तो वजन 8 किलो 740 ग्राम हुआ। एसआई साहब ने शुद्ध गांजे में से 100–100 ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेंपल निकालकर एक प्लास्टिक थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का–ए व बी तथा शेष बचा गांजा 8 किलो 540 ग्राम को उसी कट्टे में रखकर सील मोहर कर मार्का–सी दिया जाना अभिकथित किया है। एसआई साहब ने सभी पैकेटों को अपनी निजी सील से सील मोहर किया जिसे बाद कार्यवाही मौके पर नष्ट किया जाना अभिकथित किया है। अभियुक्त को जर्य फर्द गिरफ्तार किया जाना व मोटरसाइकिल बतौर वजह सबूत जब्त किया जाना अभिकथित किया है। अभियुक्त की जामा तलाशी में एक 50 रुपये का नोट व एक जीओनी का मोबाइल मिला बताया गया है। माल मय मुल्जिम वापस थाने आना और

थाने आकर एसआई साहब ने पैकेटों को थाने की सील से सील मोहर कर जमा मालखाना कराया। अभियुक्त को बंद हवालात किया जाना अभिकथित किया है।

गवाहान द्वारा फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1, फर्द सहमति स्वतंत्र गवाह प्रदर्श पी–2, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी–6, दिनांक 05.09.17 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी रामकरण जी एसआई साहब ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 हकीम बक्श जी एसआई साहब की निशादेही से उनके समक्ष बनाया जाना अभिकथित किया है जिन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा उन पर अंकित सील नमूना के अंकन होना भी अभिकथित किया है तथा गवाह राकेश कुमार ने नोटिस तलब गवाहान हुक्मनामा प्रदर्श पी–8 को प्रदर्शित कराते हुए ए से बी उसकी रिपोर्ट व सी से डी हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है।

जिरह में गवाह जाकिर हुसैन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा रोकने पर वह घबरा गया था जिससे हमें यह शक हो गया था कि उसके पास मादक पदार्थ है। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि कार्यवाही को होते देख मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गई हो। राकेश कानि0 के गवाह लेने जाने के बाद या उसके वापस आने के बाद एसआई सा0 या जाब्ते ने किसी आने जाने वालों को रोककर स्वतंत्र गवाह बनने के लिए नहीं कहा। गवाह ने अभिकथित किया कि माल का कट्टे समेत भी वजन किया था, कट्टे का मुंह एसआई साहब ने खोला था, कट्टे के अंदर से गांजा एसआई साहब ने ही निकाल कर तौला था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि गांजे में डंठल, बीज पत्तियां, फूल आदि होते हैं। गवाह ने अभिकथित किया कि जब्तशुदा गांजा एक ही आयताकार बट्टे में जमा हुआ था, अलग–अलग बट्टों में जमा हुआ नहीं था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पैकेटों पर चस्पा चिटों पर अभियुक्त का नाम पता, गवाहान के हस्ताक्षर, एफआइआर नंबर आदि लिखे थे। गवाह ने अभिकथित किया कि पैकेटों को कपड़े की थैली में एसआई साहब ने सुई धागे से सिला था, सुई धागे से कपड़े की थैलियां बनाई थी, प्लास्टिक की थैलियां अनुसंधान बॉक्स में ही थी, सेंपल निकालने के बाद शेष गांजे को उसी कट्टे में रख कर सील मोहर किया था, पैकेट्स पर हकीम बक्स जी की सील लगाई थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि मौके पर काम में ली गई निजी सील को बाद कार्यवाही नष्ट नहीं किया हो। गवाह ने अभिकथित किया कि मौके के पास स्थित सरस डेयरी उस समय बंद थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि मौके के आस पास मकान बने हुए हों। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि घटनास्थल के पास वाला रोट हाईवे रोड़ है, उसके बयान कम्प्यूटर कर्मी द्वारा अनुसंधान अधिकारी के निर्देशन में लेखबद्ध किये थे, मौके की फर्दों पर एसआई साहब के हस्ताक्षर के नीचे उनके पदनाम की सील अंकित नहीं है। गवाह ने इस तथ्य

से इंकार किया कि समस्त कार्यवाही थाने पर बैठ कर की हो और अभियुक्त को झूठा फंसाया हो। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके मौके से बाद कार्यवाही वापस थाने आने की आमद रपट पत्रावली पर नहीं है, अभियुक्त को धारा 50 का नोटिस नहीं दिया गया। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि कट्टे को खोलने से पहले अभियुक्त ने उसमें गांजा होना बता दिया हो। गवाह ने अभिकथित किया कि एसआई साहब की हम गवाहान ने तलाशी ली तो उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली थी, पर्स, मोबाइल, रूमाल आदि मिले थे, गांजा मिलने के बाद एसआई साहब ने अभियुक्त की तलाशी ली थी, जिसके पास 50 रुपये, एक जीओनी का फोन मिले थे। गवाह ने अभिकथित किया कि एसआई साहब ने अभियुक्त की तलाशी ऊपर से नीचे की तरफ ली थी।

जिरह में गवाह राकेश कुमार ने अभिकथित किया है कि हम थाने से प्राईवेट मोटर साइकिल से रवाना हुए थे एक मोटर साइकिल पर वह और जाकिर कानि0 और दूसरी पर हकीम बख्श एसआई साहब थे, हमने घटनास्थल पर पहुॅचने से पहले कही पर भी वाहन चैक नही किए। गवाह ने अभिकथित किया कि अभियुक्त को देखने से पहले हमने कोई वाहन चैक नहीं किए। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि नयागॅाव से आना वाला कोई भी चालक सीधा अनन्तपुरा जाना चाहेगा तो वह फ्लाई ओवर के उपर से जायेगा और रंगबाडी की तरफ से जाने वाला व्यक्ति साइड वाले रोड़ से नीचे उतरकर आएगा। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि फॉर लाईन से नीचे उतरने वाले व्यक्ति को पुलिस की गाडी या कोई व्यक्ति नजर आ सकता हो, हमें दस बारह कदम की दूरी से देखने के बाद अभियुक्त वापस मुडकर नहीं भागा हो बल्कि उसने वापस गाडी मोडकर भागने की कोशिश की थी, अभियुक्त की गाडी स्टार्ट थी और अभियुक्त गाडी को भागने की कोशिश कर रहा था। गवाह ने अभिकथित किया कि सरस बूथ उस वक्त बंद था, सरस बूथ के पास कोई चाय की दुकान नहीं है, अभियुक्त को रोकने के बाद जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो थानेदार जी ने उक्त कट्टे को उतार लिया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब अभियुक्त ने संतोषपद जवाब नहीं दिया तो हम सभी को उसके पास मादक पदार्थ या अवैध वस्तु होने का शक हो गया था। गवाह ने अभिकथित किया कि कटट्े को थानेदार जी ने उतारकर रोड के साइड रख लिया था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि उसे स्वतंत्र गवाह की तलबी के लिए एसआई साहब ने कोई नोटिस दिया हो बल्कि पहले उससे सहमति ली थी। गवाह ने अभिकथित किया कि उसने घटनास्थल के आस पास सड़क पर आने जाने वाले राहगीरों को ही गवाह बनने के लिए कहा था, वह घटनास्थल से मात्र 150 मीटर दूरी पर पैदल गवाह तलाश करने गया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रोड़ की दूसरी तरफ जो बंधा धर्मपुरा रोड जा रहा है उसके पास मकान बना हुआ है

और पास में एक स्कूल है। गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उन मकान वालों या स्कूल में गवाह तलाश करने नहीं गया था, घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर स्कूल व मकान बने हुए है जिन लोगो ने गवाह बनने के लिए मना किया उन लोगों के नाम पते लिखकर उसने जप्ती अधिकारी को नही दियें थे। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जब वह आया उस वक्त एसआई साहब कट्टे को खोलकर देख रहे थे। गवाह ने अभिकथित किया कि मौके की सारी फर्दे हकीम बख्श एसआई साहब की कलमी है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हमने हकीम बख्श जी की तलाशी ली थी, हमें अभियुक्त के पास मादक पदार्थ का शक होने के बाद भी हकीम बख्श जी मौके पर धारा 50 व धारा 42 अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की। गवाह ने अभिकथित किया कि कट्टे का मुंह जिस सुतली से बंधा हुआ था वह प्लास्टिक की थी या फिर सूत की थी या किसी अन्य चीज की बनी हुई थी आज उसे याद नहीं है, कट्टा 30–40 किलो के आस पास क्षमता रखने वाला था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि जो मादक पदार्थ जो थैले में से निकला उसमें डंठल, फूल व पत्तीयां ना हो। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह बट्टे की तरह जमा हुआ पदार्थ था। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि उक्त माल जमा होने के कारण डंठल, फूल व पत्तियॉ नजर नही आ रही थी। गवाह ने अभिकथित किया कि हमारे अनुसंधान बाक्स में कपडा, प्लास्टिक की थैलियॉ व अन्य आवश्यक वस्तु होती है, सारी कार्यावाही में लगभग दो घंटे लगे थे। गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की कि इलेक्ट्रोनिक कांटा कितने फुट का होगा। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त ने कट्टे को हाथ से नही पकड रखा था। गवाह ने अभिकथित किया कि सारा माल एक ही कट्टे में जमा हुआ था, मय कट्टे सहित माल का वजन 8 किलो 800 ग्राम था, प्रदर्श पी–1 में जी से एच भाग में जो माल मय कट्टे जप्ती बनाई है मय वजन 8 किलो 740 ग्राम मय सफेद कट्टे लिखा हुआ है। गवाह ने अभिकथित किया कि मौके पर तीन चिट माल बनाये थे जो थानेदार जी ने बनाया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि चिट माल पर धारा, अभियुक्त का नाम, एफआईआर नंबर आदि लिखें थे। गवाह ने अभिकथित किया कि मौके पर कपडे की थैलिया थानेदार जी ने सुई धागे से स्वयं ने सीली थी, सेंपल के लिए गांजा गांजे के बट्टे में से हाथ सें तोडकर निकाला था, मौके पर माल को थानेदार जी की सील से सील मोहर किया था, निजी सील को बाद कार्यावाही मौके पर नष्ट किया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि टूटी हुई सील के टुकडो को अलग से जप्त नही किया था। गवाह ने अभिकथित किया कि यह सील अभ्रक जैसी धातु की बनी हुई थी। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मौके की कार्यावाही की कोई फोटोग्राफी नही की थी, फ्लाई ओवर वाला हाइवे रोड़ है।

गवाह पी.डब्ल्यू.3 हेमराज जो कि दफा 57 अधिनियम की सूचना का वाहक है, गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 5.09.17 पर कानि0 के पद पर थाना अनन्तपुरा कोटा में तैनात था। उस दिन मुकदमा नं 349/17 धारा 8/20 अधिनियम थाना अनन्तपुरा कोटा में एसएचओ साहब के आदेशानुसार धारा 57 अधिनियम की सूचना देने हेतु रवाना होकर श्रीमान एसपी साहब कार्यालय पर पहॅुचा जहॉ पर समय 4:30 पीएम पर श्रीमान को एक प्रति सूचना की दी गई व एक पर रसीद प्राप्त की और रवाना होकर श्रीमान सीओ साहब के तृतीय के कार्यालय पहॅुचा, जहॉ समय 5 पीएम पर श्रीमान को एक प्रति सूचना की दी गई व एक प्रति पर रसीद प्राप्त कर रवाना होकर वापसी थाना 6:13 पीएम पर दोनों प्राप्ति रसीदें को रोजनामचा लेखक हैड कानि0 श्री सीताराम के सुपुर्द की। गवाह ने धारा 57 अधिनियम की सूचनाएं प्रदर्श पी–9 व पी–10 को प्रदर्शित कराया है। जिरह में गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि यह सूचनाएं उसे लिफाफे में बंद करके दी हों बल्कि खुली अवस्था में दी थी। गवाह ने अभिकथित किया कि उसे सूचना एक प्रति में दी थी। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि उक्त सूचना वहां पर बैठे बाबू को दी हो बल्कि साहब को दी थी। गवाह ने अभिकथित किया कि वह दोनों सूचना देने एक बार ही थाने से निकला था।

गवाह पी.डब्ल्यू.4 हरीश चन्देल जो कि एफएसएल वाहक है। गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 11.09.2017 को थाना अनन्तपुरा कोटा में कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना इंचार्ज छोटूलाल ने मुकदमा नम्बर 349/2017 धारा 8/20 अधिनियम में मार्का–ए पैकेट एसपी साहब के मार्फत एफएसएल जयपुर में जमा कराने के लिए दिया जिसे लेकर वह एसपी कार्यालय कोटा आया जहां पर एफएसएल जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफएसएल जयपुर रवाना होकर दिनांक 12.09.2017 को माल एफएसएल में जमा कर रसीद संख्या 12515/17 प्राप्त की और अन्य राजकार्य करता हुआ दिनांक 14.09.2017 को वापसी थाना पर रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। गवाह ने थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, एसपी साहब कोटा शहर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 तथा एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–13 को प्रदर्शित कराया है। जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एफएसएल जयपुर जाने आने बाबत् यात्रा टिकट पत्रावली में संलग्न नहीं है, उसके बयान धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता में भी इस बात का हवाला नहीं है कि वह किस साधन से जयपुर गया व आया। गवाह ने अभिकथित किया कि असल मालखाना रजिस्टर आज उसके समक्ष नहीं है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके उच्च अधिकारी ने उसे माल ले जाने के लिए नहीं कहा अजखुद कहा कि हकीम बख्श जी ने कहा था कि मालखाना इंचार्ज से माल प्राप्त कर लेकर जाना, चह इस प्रकरण के अलावा अन्य प्रकरण का माल भी लेकर गया था। गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया

कि एसपी कार्यालय में बैठे कर्मचारी को उसने पत्र, माल वगैरह दे दिये थे फिर उन्होंने उसे 30 मिनट बाद वापस लौटा दिया था। गवाह ने अभिकथित किया कि एसपी कार्यालय से उसे 03:30 बजे अग्रेषण पत्र दिया गया था, वह 04:30 बजे बस स्टेण्ड नयापुरा पहुंच गया था जहां उसने नाश्ता किया व बस में बैठ गया था, वह रात को 12:30 –01:00 बजे जयपुर पहुंच गया था। गवाह ने अभिकथित किया कि वह सुबह नौ साढे नौ बजे कमरे से एफएसएल के लिए रवाना हो गया था, वह कोटा से 11 तारीख को रवाना हुआ था जयपुर 123 तारीख को पहुंच गया था, एफएसएल जयपुर जाकर उसने कार्यालय में कर्मचारी को माल व पत्र दे दिया था। गवाह ने अभिकथित किया कि उसे एफएसएल जयपुर कार्यालय से माल जमा कराने के लगभग तीन घण्टे बाद रसीद दी थी, जब तक वह हॉल में ही बैठा था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह 13 मारीख को कोटा नहीं पहुंचा था।, उसने दो दिन तक जयपुर में अन्य राजकार्य किये थे, वापस थाना आकर रात को सात सवा सात बजे हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने अभिकथित किया कि उसने रोजनामचे में हस्तरक्षर नहीं किये थे, अजखुद कहा कि उसने रोजनामचे पर हस्ताक्षर नहीं किये रोजनामचा कम्प्यूटर में चलता है।

गवाह पी.डब्ल्यू.5 छोटूलाल जो कि मालखाना इंचार्ज है। गवाह ने कथन किया है कि वह दि0 04.09.2017 को थाना अनंतपुरा कोटा पर एचएम मालखाना इंचार्ज था। उस दिन हकीम बक्स एसआई साहब ने प्रकरण संख्या 349/2017 धारा 8/20 अधिनियम में जब्तशुदा माल मार्का–ए सील्डशुदा हालत में तथा मार्का–बी व मार्का–सी सीलशुदा हालत में उसे संभलाये थे जिन्हें उसने जमा मालखाना किया जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर में ए से बी भाग पर किया जिस पर सी सवे डी उसके हस्ताक्षर तथा ई से एफ हकीम बक्स के हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर थाने की सील का नमूना अंकित है। दिनांक 11.09.2017 को हरीशचन्द कांस्टेबिल को एफएसएल जयपुर में एसपी साहब के मार्फत माल जमा कराने रवाना किया जिसकी रवानगी का इंद्राज मालखाना रजिस्टर में किया जिसके आई से जे भाग में हरीशचंद के हस्ताक्षर हैं। हरीशचंद ने दिनांक 14.09.2017 को माल जमा कराकर वापस थाना आने पर एफएसएल रसीद 12515 दिनांक 12.09.2017 रामकरण एसआई को सुपुर्द की जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर के के से एल भाग पर किया जिस पर आई से जे हरीशचंद के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 10.10.2017 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री रामकरण एसआई के साथ धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही कराने के हलिए माल मार्का सी व बी मालखाना से लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट 4 उत्तर कोटा में रवाना हुए। न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब ने धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित कर माल मार्का सी, रिप्रिजेंटेटिव सेम्पल मार्का–आर, कंट्रोल सेम्पल मार्का–बी वापस सुपुर्द किये जिनको लेकर वह अनुसंधान अधिकारी के साथ वापस थाने आया और माल को पुनः जमा

मालखाना किया। धारा 52ए की कार्यवाही संपादित कराने के लिए न्यायालय में रवाना होने की रवानगी का इंद्राज मालखाना रजिस्टर के एम से एन भाग पर किया तथा मजिस्ट्रेट साहब द्वारा धारा 52ए की कार्यवाही के पश्चात् माल मार्का–सी, आर व बी वापस सुपुर्द किये जिसका इंद्राज ओ से पी भाग पर किया जिस पर क्यू से से आर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित हैं तथा तीन वाई स्थान पर न्यायालय की सील का नमूना है। माल लेकर वापस थाने आये जिसका इंद्राज मालखाना रजिस्टर के एस से टी भाग पर किया हुआ है। गवाह ने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14 को प्रदर्शित कराया है। जिरह में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–14 के जी से एच भाग में माल एफएसएल भेजने की तारीख अंकित नहीं है तथा जी से एच भाग के नीचे जिस व्यक्ति ने माल वाहक को माल सम्भलाया उसके हस्ताक्षर नहीं है। गवाह ने अभिकथित किया कि एफएसएल रसीद माल वाहक ने किस व्यक्ति को संभलाई उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी प्रदर्श पी–14 के के से एल भाग के नीचे नहीं हैं। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–14 में धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु मालखाना से माल कोर्ट के लिए भेजा उसका इंद्राज नहीं है तथा अजखुद कहा कि रवानगी रपट संख्या लिखी हुई है।

गवाह पी.डब्ल्यू.6 रामकरण जो कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं। गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.09.17 को थाना अनन्तपुरा में एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन इंचार्ज थाना हकीम बख्स एसआई द्वारा मुकदमा नंबर 349/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना अनन्तपुरा कोटा की तफतीश उसे प्राप्त हुई थी। जिस पर पत्रावली प्राप्त कर पत्रावली व फर्दात का अवलोकन किया। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये गए। दिनांक 05.09.17 को परिवादी की निशादेही से गवाहन के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। एफएसएल जयपुर में एसपी साहब के मार्फत हरीश कानि0 को माल जमा कराने के लिए जयपुर भेजा था। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित कराने के लिए सीजेएम साहब को प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.17 को पेश किया जिस पर उनके द्वारा कार्यावाही संपादित करने के लिए जेएम 4 उत्तर कोटा को नीरज मित्तल को नियुक्त किया। उस दिन जेएम 4 उत्तर कोटा ने धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित करने के लिए जब्तशुदा माल व तोल हेतु इलेक्ट्रोनिक कॉटा एवं फोटोग्राफी कैमरा मय फोटोग्राफर की व्यवस्था के साथ दिनांक 04.10.17 को कार्यवाही की जाएगी जिसके संबंध में मजिस्ट्रेट साहब की तहरीर है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित करने के लिए दिनांक 04.10.17 पेशी नियत की गई जिस पर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पद नाम अंकित है। दिनांक 04.10.17 को थाना अनन्तपुरा से सीडी व माल पेश नहीं होने पर पुनः दिनांक 06.10.17 पेशी

नियत की गई, दिनांक 06.10.17 को माल पेश नहीं किया गया जिस पर दिनांक 10.10.17 पेशी नियत की गई। दिनांक 10.10.17 को मजिस्ट्रेट साहब ने जब्तशुदा माल के संबंध में धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित की। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर श्रीमान् एसएचओ साहब को सुपुर्द की गई। गवाह ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–15, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु सीजेएम साहब कोटा को लिखा पत्र प्रदर्श पी–16 पर सीजेएम साहब द्वारा श्री नीरज मित्तल जेएम–4 उत्तर कोटा को नियुक्त किया, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–4 उत्तर कोटा का पत्र प्रदर्श पी–17, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही से संबंधित न्यायालय की आदेशिकाएं प्रदर्श पी–18 लगायत प्रदर्श पी–21, इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–22, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–23, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा फोटोग्राफी करवाई थी जिसके संबंध में खिंचवाए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–32, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी करवाई गई जिसकी सीडी प्रदर्श पी–33 को प्रदर्शित कराया है।

जिरह में गवाह ने अभिकथित किया कि दिनांक 04.09.2017 को यह पत्रावली उसे अनुसंधान हेतु मिली थी, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने निजी वाहन मोटरसाइकिल से गये थे। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि थाने से बाकी लोगों को गवाह बनाने के लिए साथ ही ले गया था। गवाह ने अभिकथित किया कि घटनास्थल के पास सरस दूध की डेयरी है वह बंद थी इसलिए उसके बयान नहीं लिए, स्वतंत्र गवाह बुलाने के भी प्रयास किये थे, तहरीर देकर नहीं भेजा यह सही है। लेकिन आने–जाने वालों को कहा था। गवाह ने अभिकथित किया कि बस्ती व स्कूल तो दूर हैं। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि प्रदर्श पी–7 के एक्स स्थान पर दिनांक में काटा फासी कर 1 को 5 बना रखा हो। गवाह ने अभिकथित किया कि कार्यवाही में कुल आधा पौन घण्टा लगा होगा, माल एफएसएल भेजने पर रोजनामचे पर हस्ताक्षर नहीं किये वह तो कम्प्यूटराइज्ड होता है। गवाह ने अभिकथित किया कि टाइपशुदा बयान उसने ही टाइप किये थे।

गवाह पी.डब्ल्यू.7 हकीम बख्स जो कि प्रकरण के जब्ती अधिकारी हैं। गवाह ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.09.17 को थाना अनन्तपुरा पर एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समयय 02:41 पीएम पर मय जाप्ता कानि0 राकेश कुमार, कानि0 जाकिर हुसैन के मय प्राईवेट मोटरसाईकिलों के मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से वास्ते गश्त इलाका व अवैध कार्य चैकिंग हेतु रवाना होकर अनन्तपुरा तिराहा वर्डा बस्ती होते हुए हाईवे पुलिया पर बन्दा धर्मपुरा

रोड़ पर पहुंचे जहां पर बन्दा धर्मपुरा की ओर से एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति चलकर आया जो जाब्ता पुलिस को देखते ही सरस डेयरी के पास रूककर वापस मुड़ने ही वाला था कि संदेह होने पर रोका और उसका नाम पता पूछा तो आपने घबराते हुए अपना नाम मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठु उम्र 22 साल निवासी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने कोटा का होना बताया। मोटरसाईकिल आरजे–20–जेएस–6571 की टंकी पर एक सफेद प्लास्टिक का कट्टा रखा हुआ था जिसके बारे में पूछा कि इसमें क्या है तो वह घबरा गया और कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अभियुक्त की घबराहट को देखते हुए इसके कट्टे की तलाशी लिया जाना अत्यंत आवश्यक होने से स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु हुक्मनामा देकर कानि0 राकेश कुमार को रवाना किया जिसने करीब 20 मिनट में वापस आकर हुक्मनामा मय रिपोर्ट के पेश किया और बताया कि आसपास आबादी नहीं होने से तथा कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं होने से राहगीरों ने भी अपने नाम पते नहीं बताए। इस पर दोनों कानि0 को स्वतंत्र गवाह मामूर कर फर्द सहमति स्वतंत्र गवाहन प्राप्त कर उसने दोनों कानि0 की तलाशी ली व स्वयं की तलाशी दोनों गवाहान ने ली तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् अभियुक्त के द्वारा मोटरसाईकिल पर रखे हुए कट्टे को खोलकर देखा तो उसमें ठोस बट्टीनुमा गांजा जमा कर रखा हुआ मिला जिसमें से गांजे की बदबू आ रही थी। गवाहान ने भी सूंघकर गांजा होना बताया व अभियुक्त ने भी कट्टे में गांजा होना बताया। अभियुक्त से अपने कब्जे में गांजा रखने बाबत लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। तत्पश्चात् हमराह लाए इलेक्ट्रोनिक कॉटे से कट्टे का तोल किया तो मय गांजा 8 किलो 800 ग्राम हुआ व गांजे को बाहर निकालकर कट्टे का वजन किया तो 60 ग्राम हुआ। शुद्ध वजन गांजा 8 किलो 740 ग्राम पाया गया। जिसमें से 100 ग्राम गांजा बतौर नमूना सेम्पल निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क ए अंकित किया। इसी प्रकार 100 ग्राम गांजा बतौर कंट्रोल सेम्पल निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क बी अंकित किया। शेष गांजा 8 किलो 540 ग्राम को उसी कट्टे में रखकर सील मोहर कर मार्क सी दिया गया। तीनों आर्टिकलों को निजी सील से सील मोहर करने के बाद मोहर को पत्थर से तोड़कर नष्ट कर दिया गया व मोटरसाईकिल को भी बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। अभियुक्त को धारा 8/20 अधिनियम का जुर्म पाये जाने पर पृथक से गिरफतार किया गया। वापसी थाना पर तीनों आर्टिकल को थाने की सील से पुनः सील कर जरिए एचएम जमा मालखाना किया गया व अभियुक्त की जामा तलाशी में मिले 50 रूपए व मोबाईल जरिए एचएम जमा मालखाना किया। मुकदमा नंबर 349/17 धारा 8/20 अधिनियम आईसी थाना द्वारा पंजीकृत किया गया। गवाह ने फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1, नोटिस तलबी गवाह प्रदर्श

पी–2, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी–6, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7, नोटिस तलबी गवाहान प्रदर्श पी–8, मालखाना प्रभारी को दिया गया नोटिस धारा 55 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी–34, नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–35 लगायत प्रदर्श पी–40 तथा आर्टिकल–1 लगायत आर्टिकल–4 को प्रदर्शित कराया है।

जिरह में गवाह ने अभिकथित किया कि चिट माल आर्टिकल–1 व 2 उसकी कलमी हैं। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त उन्हें देचखकर घबरा गया था इसी बात से उन्हें शक हो गया था। गवाह ने अभिकथित किया कि चूंकि कार्यवाही आकस्मिक थी इसलिए हमने धारा 50 अधिनियम का नोटिस नहीं दिया। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि सरस बूथ की डेयरी झालावाड़ वाले रोड पर है हम तो सरस बूथ की डेयरी के पास खड़े थे। गवाह ने अभिकथित किया कि पुलिया के पास में खड़े थे। गवाह ने इस तथ्य से इंकार किया कि डेयरी के पीछे मकान बने हों, वहां सौ मीटर की दूरी पर स्कूल हो। गवाह ने अभिकथित किया कि उन्होने कोई और वाहन वहां चैक नहीं किया। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त झालावाड़ रोड़ से जो नीचे सर्विस रोड़ आता है उससे नहीं आया था, उतरने वाले रोड़ पर डेयरी है। गवाह ने अभिकथित किया कि यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जब नीचे उतर रहा है तो उसे पुलिस नजर आये, हो सकता है नजर नहीं भी आवे। गवाह ने अभिकथित किया कि उसने चाबी निकालकर गाड़ी उसकी बंद कर दी, सरस बूथ के पास चाय की दुकान हो तो उसे याद नहीं है, कटटे में क्या है यह पूछा था, फिर कटटे को उतारकर साइड में रख लिया था, उसने जो हुक्मनामा दिया उसमें अपने पदनाम की मोहर नहीं लगाई, यह बात सही है। गवाह ने अभिकथित किया कि उसकी निजी सील उसके पास थी, कुल कार्यवाही में डेढ दो घटे लग गये थे, फर्द नमूना सील के समय पर ओवर राइटिंग हो रही है, यह सी है उसे सही किया गया। गवाह ने अभिकथित किया कि अभियुक्त की तलाशी से पूर्व उसकी तलाशी हुई थी उसकी फर्द नहीं है। उसने स्वतंत्र गवाह बनाने का स्वयं प्रयास नहीं किया परन्तु राकेश कांस्टेबिल स्वतंत्र गवाह तलाशने गया था। गवाह ने अभिकथित किया कि अभियुक्त की जामा तलाशी में एक मोबाइल व पचास का नोट मिला था, जब हम कार्यवाही कर रहे थे तो आने जाने वाले लोग रुके थे पर वे आ जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था, देखकर जा रहे थे। गवाह ने अभिकथित किया कि घटनास्थल के पास स्कूल नहीं है, कटटे का मुंह तत्समय सूतली से बंधा हुआ था, सेम्पल हाथ से निकाला था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि मौके पर माल को नारकोटिक्स किट से चैक नहीं किया। गवाह ने अभिकथित किया कि इलेक्ट्रॉनिक कांटा 25–30 किलो तक का वजन कर लेता है। गवाह ने अभिकथित किया कि उसने मौके पर निजी सील पत्थर से तोड़ी

थी, उनके अवशेष अलग से नहीं रखे यह सही है। गवाह ने अभिकथित किया कि सील पीतल ब्रास की बनी थी, फर्दें जो बनाई उन पर हस्ताक्षर किये थे, अनुसंधान अधिकारी के साथ मौके पर गये थे। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अनुसंधान अधिकारी ने मौके के गवाह लेने के लिए नहीं भेजा।

गवाह पी.डब्ल्यू.8 अनिल जोशी ने कथन किया है कि वह दिनांक 05.09.2017 को थाना अनंतपुरा में सीआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 349/2017 धारा 8/20 अधिनियम में धारा 57 अधिनियम की सूचना एसपी साहब व सीओ साहब को जरिये कांस्टेबिल हेमराज भिजवाई जो प्रदर्श पी–9 व पी–10 हैं जिन पर ए से बी प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा सी से डी उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण अनुसंधान के बाद अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 8/20 अधिनियम का अपराध प्रमाणित मानते हुए उनके द्वारा चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई। जिरह में गवाह ने अभिकथित किया कि धारा 57 अधिनियम की सूचना प्रकरण दर्ज होने के अगल दिन भिजवाई थी, कांस्टेबिल 4 बजे के करीब लेकर रवाना हुआ था।

उपरोक्त समस्त साक्ष्य की संवीक्षा करने पर अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 04.09.2017 को एसआई हकीम बख्श मय जाब्ता थाने से करीब 02:41 वास्ते गश्त इलाका व अवैध कार्य चैकिंग हेतु रवाना होकर अनन्तपुरा तिराहा, बरडा बस्ती करते हुए हाई–वे पुलिया बंधा धर्मपुरा क्रेशर रोड़ होता हुआ 03:55 पीएम पर फोरलेन पुलिया के नीचे बंधा धर्मपुरा रोड़ पर पहुंचना बताया है। बंधा धर्मपुरा की ओर से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे एक व्यक्ति का बावर्दी पुलिस जाब्ता को देखकर वापस मोटरसाइकिल मोड़ने से संदेह होने पर उसे रोककर नाम पता पूछना अभिकथित किया है। उसके द्वारा अपना नाम मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठू मांझी जाति मांझी उम्र 22 साल निवासी मकान नम्बर 225–जी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर कोटा का होना बताया जिस पर उसकी मोटरसाइकिल की टंकी पर रख्ओ हुए एक प्लास्टिक के कटटे में रखे सामान के बारे में पूछने पर उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया इस पर संदिग्ध व्यक्ति की घबराहट को देखते हुए और वापस मुड़ने की स्थिति को देखते हुए उस पर आशंका होने के कारण उसकी तलाशी लिया जाना आवश्यक समझा गया। अभियोजन कथानक के अनुसार इस व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए स्वतंत्र गवाह तलाश करने हेतु कांस्टेबिल राकेश कुमार को रवाना किया जाना बताया है जिसने आस–पास आबादी नहीं होने से राहगीरों से स्वतंत्र गवाह बनने हेतु पूछा लेकिन कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो तत्समय जाबता में रहे कांस्टेबिल राकेश कुमार व जाकिर हुसैन को नोटिस देकर उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह मामूर किया जाना तथा एसआई द्वारा अपनी तलाशी गवाहान को दी गई तथा गवाहान की तलाशी उसने ली तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं

मिली। तत्पश्चात् मोटरसाइकिल की टंकी पर रखे सफेद प्लास्टिक के कटटे जिसका मुंह सूतली से बंधा हुआ था जिसे खोलकर देखा तो उसमें आयताकार आकृति में जमाकर रखा पाया गया जिसमें गांजे की बीज, डंठल गुच्छेनुमा ठोस आकृति के थे जिसको देखकर सूंघकर गांजा होना पया गया जिसको रखने का कोई विधिक अनुज्ञापत्र अभियुक्त मिथुन मांझी के पास नहीं था और पूछने पर यह भी बताया कि वह नया गांव से बेचने हेतु लाया था, सफेद कटटे पर शेर ब्राण्ड व्हीट आटा चक्की से बना हुआ लिखा था। मादक पदार्थ गांजा का तौल करने पर कुल वजन 8 किलो 800 ग्राम जिसके कटटे में से निकालकर शुद्ध वजन किया तो 8 किलो 740 ग्राम हुआ। बरामदशुदा मादक पदार्थ गांजा में से 100–100 ग्राम के नमूना व कंट्रोल सेम्पल प्लास्टिक की थैलियों में रखकर सफेद कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर कर मार्का ए व बी दिया। शेष गांजा 8 किलो 540 ग्राम गांजे को उसी कटटे में रखकर सील मोहर कर मार्का–सी दिया। तीनों मार्का ए बी सी को जब्ती अधिकारी की निजी सील से सील चिट किया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वापसी थाना पर तीनों जब्तशुदा पैकेटों को पुनः थाने की सील से सील मोहर कर मालखाना में जमा कराया गया। अभियोजन कथान के अनुसार मोटरसाइकिल को पृथक से जब्त किया जाना बताया गया है। मौके पर नमूना सील बनाई गई थी और इस सील को जिसको मौके पर काम में लिया जाना अभिकथित किया है, उसे बाद कार्यवाही मौके पर ही नष्ट किया जाकर फर्द नष्टीकरण प्रदर्श पी–5 भी बनाना अभिकथित किया है। अभियुक्त के विरुद्ध पृथक से मुकदमा पंजीबद्ध करना बताया है।

उपरोक्त कार्यवाही के संदर्भ में सर्वप्रथम जब्ती अधिकारी श्री हकीम बख्श पी.डब्ल्यू.7 के बयानों का अवलोकन करने पर उनके द्वारा पूरी तरह से अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए अभियुक्त के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उसके कब्जे में रहे कटटे में से कुल वजन 8 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद होना जिसको रखने का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। मौके पर इसे कब्जे में लेकर नमूना सेम्पल व कंट्रोल सेम्पल व शेष माल को पृथक–पृथक सील मोहर कर कार्यवाही किया जाना बताया है तथा फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 पर जी से एच स्वयं के तथा आई से जे अभियुक्त के हस्ताक्षर तीन एक्स स्थान पर स्वयं की निजी नमूना सील का अंकित होना बताया है। फर्द चैकिंग व जब्ती के के से एल भाग में कार्यवाही पुलिस तथा जी से एच स्वयं के हस्ताक्षरों सहित नोटिस तलबी गवाह प्रदर्श पी–2, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः नमूना सील प्रदर्श पी–6, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7, नोटिस तलबी गवाहान प्रदर्श पी–8, मालखाना प्रभारी को दिया गया नोटिस धारा 55 एनडीपीएस एक्ट प्रदर्श पी–34 होना अभिकथित किया है। उक्त पदार्थ पर स्वयं के हस्ताक्षरों सहित स्वतंत्र गवाहान व अभियुक्त के हस्ताक्षरों तथा जिन फर्दात

पर सीलों का अंकन किया हुआ है उनको भी प्रमाणित किया गया है। नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–35 लगायत प्रदर्श पी–40 को प्रदर्शांकित किया गया है।

जब्ती अधिकारी के बयानों के समय भौतिक सत्यापन हेतु माल भी न्यायालय में पेश हुआ। न्यायालय में मार्का–ए, बी व सी तथा प्रतिनिधि सेम्पल मार्का–आर पेश हुए। मार्का–ए एफएसएल से जांच बाद लौटा है जो एफएसएल की सील से सीलशुदा पाया गया। मार्का–ए आर्टिकल–1 की चिट चस्पा पर ए से बी जब्ती अधिकारी स्वयं के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर तथा तीन एक्स स्थान पर थानाधिकारी की स्वयं की निजी सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–बी स्वयं की निजी सील व थाने की सील से सीलशुदा है। मार्का–बी आर्टिकल–2 की चिट चस्पा पर ए से बी उसके स्वयं के सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर स्वयं की निजी सील का नमूना अंकित होना अभिकथित किया है। मार्का–बी आर्टिकल–2 को न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसके अंदर पॉलीथीन की थैली निकली, थैली में गांजा भरा हुआ निकला। मार्का–सी जिसकी न्यायालय द्वारा धारा 52ए अािनियम की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। मार्का–सी न्यायालय की चपड़ी से सीलशुदा था। मार्का–सी आर्टिकल–3 की चिट चस्पा पर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर ए से बी मय पदनाम अकित था जिस पर तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–सी में से मजिस्ट्रेट साहब द्वारा धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधि सेम्पल मार्का–आर निकाला जो न्यायालय की सील चपड़ी से सीलशुदा था जो आर्टिकल–4 है जिसकी चिट चस्पा पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित होना पाया गया तथा तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित होना पाया गया। प्रति परीक्षण में भी जब्ती अधिकारी की साक्ष्य पूरी तरह से उपरोक्त संबंध में अखण्डित व अकाट्य रही है। प्रति परीक्षण में जब्ती अधिकारी ने यह कथन किया है कि चिट माल आर्टिकल–1 व 2 उनकी स्वयं की कलमी हैं और यह स्पष्ट करते हुए कथन किया है कि अभियुक्त जब उन्हें देखकर घबरा गया था इसलिए उन्हें शक हो गया था इस तथ्य को उनके द्वारा सही होना बताया। धारा 50 व धारा 42 अधिनियम के संबंध में जब्ती अधिकारी ने स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया है कि चूंकि कार्यवाही आकस्मिक थी इसलिए उन्होंने धारा 50 व धारा 42 अधिनियम का नोटिस नहीं दिया था। घटनास्थल के बारे में जब्ती अधिकारी ने यह स्पट किया है कि सरस बूथ झालावाड़ रोड़ पर स्थित है वहां पर खड़े हुए थे, इस तथ्य को सही होना बताया है। इस तथ्य से इन्कार किया है कि डेयरी के बाद सौ मीटर की दूरी पर ही स्कूल हो। इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि अभियुक्त उन्हें देखकर 10–15 कदम दूरी पर ही रुक गया और गाड़ी देखकर भागने की कोशिश की थी जिसको कि भागकर पकड़ा

था और चाबी निकालकर गाड़ी बंद करने तथ्य कहे हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह में सरस बूथ के पास चाय की दुकान होने का सुझाव दिये जाने पर इस गवाह ने कथन किया है कि यदि सरस बूथ के पास चाय की दुकान हो तो उन्हें याद नहीं है। कटटे की चैकिंग के बारे में गवाह दवारा यह कथन किया गया है कि कटटे को मोटरसाइकिल से उतारकर साइड में रख दिया गया था और फिर चैक किया थामौके पर अपने निजी सील काम में लेना बताया गया है।अभियुक्त की तलाशी से पूर्व स्वयं की तलाशी देना बताया है लेकिन इस तथ्य को स्वीकार किया है कि इसकी अलग से कोई फर्द नहीं बनाई। स्वतंत्र गवाहान के संबंध में यह स्पष्ट किया है कि उन्होंने स्वयं ने स्वतंत्र गवाह बनाने के लिए राकेश कुमार कांस्टेबिल को स्वतंत्र गवाह तलाशने के लिए भेजा गया था। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कार्यवाही करते समय आने–जाने वाले आ जा रहे थे लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। मौके पर सील नष्टीकरण के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि मौके पर निजी सील को पत्थर से तोड़ी थी जिसके अवशेषों को रखा नहीं गया था। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि फर्दों पर अपने हस्ताक्षर किये थे। अनुसंधान अधिकारी के द्वारा किये गये अनुसंधान बाबत् कथन किया है कि मौके पर गये थे। इस प्रकार प्रति परीक्षण में भी इस मुख्य गवाह की साक्ष्य पूरी तरह से अखण्डित रही है और ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जो मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों की विश्वसनीयता को विपरीत रूप से प्रभावित कर सके। अन्य मौके के गवाह में गवाह पी.डब्ल्यू.1 जाकिर हुसैन जो कि जाब्ते में से स्वतंत्र गवाह भी मामूर किया गया है उसने भी घटना की पुष्टि करते हुए शख्स मिथुन मांझी पर शक होने से आकस्मिक चैकिंग के दौरान उसके पास रहे कटटे को चैक किये जाने पर उसमें डंठल बीज गुच्छेनुमा ठोस आकृति में गांजा पाया जाना जिसका कोई लाइसेंस अभियुक्त के पास नहीं होना पाया जिसका कुल वजन 8 किलो 800 ग्राम होना बताया जिसको मौके पर जब्त किये जाने की प्रक्रिया को भी प्रमाणित किया है तथा फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1 पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर, फर्द सहमति स्वतंत्र गवाह प्रदर्श पी–2 पर ए से बी स्वयं की सहमति एवं सी से डी हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी–6, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 आदि फर्दों पर स्वयं के ए से बी हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। प्रति परीक्षण में इस गवाह की साक्ष्य भी अखण्डित रही है। प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अभियुक्त पुलिस द्वारा रोकने पर घबरा गया था जिससे शक हो गया था, शक होने पर कार्यवाही करना बताया है लेकिन ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं है कि जाब्ते के पास इस बाबत् पूर्व से कोई सूचना हो कि अभियुक्त के पास मादक पदार्थ है। केवल संदेह के आधार पर ही कार्यवाही किया जाना बताया गया है। इस सुझाव को इस

गवाह द्वारा इंकार भी किया गया है कि यह गलत है कि एसआई साहब को पूर्व से सूचना हो कि रोड़ से कोई माल लेकर आ रहा है। यह भी कथन किया है कि मोटरसाइकिल की टंकी के आगे कटटा रखा हुआ था, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गांजे में डंठल, बीज, पत्तियां फूल आदि होते हैं और गांजे को आयताकार बटटीनुमा जमा हुआ होना बताया है। यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि पैकेटों को हकीम बख्स एसआई की सील से सील करना बताया जिसे बाद कार्यवाही मौके पर ही नष्ट किया जाना बताया है। मौके पर उस समय स्थित सरस डेयरी बंद होना अभिकथित किया है। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा भी मौके पर की गई कार्यवाही की पुष्टि की है और प्रति परीक्षण में गवाह की साक्ष्य अखण्डित रही है। गवाह पी.डब्ल्यू.2 राकेश कुमार ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि अभियुक्त के कब्जे में रहे कटटे में से मादक पदार्थ गांजा तत्समय बरामद किया गया था जिसे मौके पर जब्त किया गया था और इस के द्वारा फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1 पर ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर, फर्द सहमति स्वतंत्र गवाह प्रदर्श पी–2 पर ई से एफ उसकी सहमति एवं जी से एच हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी प्रदर्श पी–4, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–5, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी–6, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7 आदि फर्दात पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। प्रति परीक्षण में इस गवाह की साक्ष्य भी अखण्डित रही है। गवाह ने थाने से प्राइवेट वाहनों से रवाना होना बताया गया है और यह कथन किया है कि अभियुक्त को सरस बूथ के पास चैक किया था उस समय सरस बूथ बंद था। कटटे को मोटरसाइकिल से उतारकर चैक किया गया था। गवाह का कहना है कि घटनास्थल के आस–पास राहगीर आ जा रहे थे जिनसे पूछने पर कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होना कथन किया है। इस गवाह ने से इंकार किया है कि उक्त माल जमा होने के कारण डंठल, फूल व पत्तियॉ नजर नही आ रही हों। प्रति परीक्षण में इस गवाह की साक्ष्य भी अखण्डित रही है और ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जो मुख्य परीक्षण में कहे गये तथ्यों की विश्वसनीयता को भंग कर सके।

इस प्रकर सभी गवाहों दवारा अकस्मात चैकिंग में अभियुक्त के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उसके कब्जे में रहे कटटे में से गांजा मिलना बताया है जिसको मौके पर जब्त किये जाने की प्रकिया को प्रमाणित किया है और इस बाबत् गवाहों की साक्ष्य अखण्डित रही है। प्रति परीक्षण में उनकी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हो सका है।

विद्वान अविक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा कि इस प्रकार में धारा 50 अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा उठाई गई आपत्ति

के संबंध में सर्वप्रथम धारा 50 अधिनियम की विधिक स्थिति का उल्लेख किया जाना समीचीन व उचित पाते हैं।

धारा 50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो बिना अनावएश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा,

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उप–धारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता,

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा वह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए,

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अधिकृत अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति जिसकी तलाशी ली जानी है, के कब्जे में किसी स्वापक औषधि अथवा मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ अथवा वस्तु अथवा दस्तावेज को उससे अलग किए बिना, जिसकी तलाशी ली जानी है, नजदीकी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास तलाशी करने के लिए ल`जाना संभव नहीं है, तो नजदीकी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को ले जाने की बजाय वह उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा, जिस प्रकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अन्तर्गत प्रदान किया गया है।

(6) उप–धारा (5) के अन्तर्गत तलाशी लेने के पश्चात अधिकारी उस विश्वास के लिए कारणों को अभिलेखित करेगा, जिसके कारण तलाशी की आवश्यकता हुई और 72 घण्टों के भीतर, उसकी एक प्रति अपने उच्चतम अधिकारी को भेजेगा।

उपरोक्त विधिक स्थिति के अनुसार जहां कहीं भी किसी संदिग्ध व्यक्ति के शरीर में कोई मादक पदार्थ रखा हुआ होने के संबंध में सक्षम पुलिस अधिकारी के पास पूर्व से कोई विश्वसनीय सूचना जरिये मुखबिर या अन्यथा प्राप्त हो या विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित करने योग्य अपराध कारित किया/अथवा उसके पास युक्तियुक्त ढंग से विश्वास

करने का कारण विद्यमान है ऐसी स्थिति में जहां तलाशी की कार्यवाही इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तो उस अधिकारी का परम कर्तव्य ही नहीं बल्कि वांछित दायित्व भी है कि वह स्पष्टतः इस संबंध में संदिग्ध व्यक्ति के संवैधानिक व विधि अधिकारों को रक्षित करते हुए यह विकल्प देवे एवं उसे इस बारे में जागरूक करे यदि वह चाहे तो उसकी तलाशी किसी निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष भी करवाई जा सकती है और यदि उक्त निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी तलाशी की कार्यवाही करना निराधार मानते हैं तो वे उसे उन्मोचित भी कर सकते हैं और यदि उक्त विधिक अधिकरों से जागरूक करने के उपरांत यदि संदिग्ध व्यक्ति उस अधिकृत अधिकारी को यह विकल्प देता है कि वह अपनी तलाशी किसी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही करवाना चाहता है तो फिर ऐसी तलाशी की कार्यवाही किसी निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही करवाया जाना जरूरी होता है। उक्त ढंग से विवेचित की गई स्थिति में जहां कहीं अधिकृत अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की कार्यवाही करने से पूर्व वह यह उपयुक्त व उचित मानता है कि अधिनियम की धारा 50 के तहत सूचना पत्र देना आवश्यक है तो फिर अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्यता व आज्ञापक प्रावधान की ढंग से पालना करना व होना नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में **विजय सिंह चंदूभा जडेजा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (2011) 1 एससीसी पेज 609** में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि धारा 50 अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक प्रकृति के हैं और उनकी पालना किया जाना आवश्यक है। **आरिफ खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2018 सीआरएलआर (एससी) पेज 464** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि जहां जब्ती अधिकारी के पास मादक पदार्थ होने की पूर्व सूचना हो एवं उक्त व्यक्ति के शरीर की तलाशी ली जानी है वहां धारा 50 अधिनियम के प्रावधान की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। **विजय सिंह चंदूभा जडेजा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2011 एस सी** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्टतः निर्धारित किया कि जहां कहीं किसी संदिग्ध व्यक्ति के शरीर की तलाशी मादक पदार्थ के संबंध में लिया जाना अपेक्षित हो तो जहां तक हो सके ऐसी तलाशी की कार्यवाही निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाई जानी चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट में आमजन का दृढ़ विश्वास और आस्था होती है एवं उक्तानुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी की कार्यवाही यदि सम्पादित व संचालित करवाई जाती है तो ऐसी कार्यवाही की वैधानिकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता यथावत रूप से बरकरार रहती है। अतः उपरोक्त समस्त विधिक दृष्टांतों व विधि का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जहां जब्ती अधिकारी के पास पूर्व सूचना हो अथवा यह विश्वास करने का कारण हो कि संदिग्ध

व्यक्ति के मादक पदार्थ कब्जे में है और धारा 41, 42, 43 अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी व जब्ती की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो तथा ऐसी तलाशी किसी व्यक्ति के शरीर की जानी हो तो ऐसी स्थिति में धारा 50 अधिनियम के प्रावधान वहां आवश्यक एवं अनिवार्य हैं जहां सर्च शरीर के संबंध में हो। **उमेश कुमार सिंह उर्फ मुन्ना बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य 1995 (1) आसीडी, पेज 315, कलेमा तुम्बा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य जे टी 1999(8) एससी 293, स्टेट आफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह (1999) 6, एससीसी पेज 172, गुरूबक्ष सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2001 (3) एससीसी पेज 28, अजमेर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा तथा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश (2005) 4 एससीसी पेज 3050, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम पवन कुमार 2005(4) एससीसी पेज 350, मदनलाल बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2003 (7) एससीसी पेज 465, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम माखन सिंह 2004 (3) एससीसी पेज 453, कन्हैयालाल बनाम स्टेट ऑफ एम पी 2000 (10) एससीसी पेज 380, विरा किशोर बनाम स्टेट आफ उड़ीसा 2000 (9) एससीसी पेज 541, कृष्ण कुमार बनाम स्टेट आफ हरियाणा 2004 (2) एससीसी पेज 608, सरजूदास बनाम स्टेट ऑफ गुजरात (1999) 8 एससीसी पेज 508, शोक जबी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जे टी 2003 (9) एससी पेज 609, Yashi Hey Yobin & Other Vs Department of Custom Shillong Criminal Appeal No.1199/2010 SC Judgement on 20.03.2013, स्टेट आफ पंजाब बनाम बलदेव सिंह ए आई आर 1999 एस सी पेज 2378, मेघ सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2003 ए आई आर(एससी) पेज 3184** में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां सर्च व्यक्ति विशेष की होती है तो ऐसी स्थिति में धारा 50 अधिनियम के प्रावधान की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। जहां कि सर्च धारा 41, 42, 43 अधिनियम के प्रावधान के तहत ली जा रही हो और जहां कि व्यक्ति की पर्सनल सर्च की जा रही हो तो वहां धारा 50 अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट होते हैं और उनकी पालना अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकरण में फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी–1 के अनुसार आकस्मि चैकिंग के दौरान अभियुक्त पर संदेह होने पर उसे चैक करना बताया है। प्रदर्श पी–1 फर्द चैकिंग व जब्ती के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति मिथुन मांझी की घबराहट व पुलिस जाब्ता को देखकर वापस मुड़कर जाने लगने पर शक होने पर जाब्ता की मदद से रोका जाना व उसकी मोटरसाइकिल पर रखे कटटे की तलाशी लिया जाना आवश्यक समझा जाना बताया गया है। सभी गवाहों के बयानों में यह

तथ्य आया है कि जाब्ते के अन्य दोनों गवाह जाकिर हुसैन व राकेश कुमार के बयानों से भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। जिरह में यह तथ्य अखण्डित रहे हैं। गवाह हकीम बख्श पी.डब्ल्य. 7 जब्ती अधिकारी ने प्रति परीक्षण में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त उन्हें देखकर घबरा गया था इसी बात से उन्हें शक हो गया था। इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चूंकि कार्यवाही आकस्मिक थी इसलिए धारा 50 अधिनियम का नोटिस नहीं दिया गया था। यह तथ्य पूरी तरह से अखण्डित रहे हैं। गवाह पी.डब्ल्यू.1 ने भी इस तथ्य को जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को पुलिस द्वारा रोकने पर घबरा गया था जिससे शक हो गया था कि उसके पास मादक पदार्थ है लेकिन इस तथ्य से इंकार किया है कि लेकिन ऐसी कोई पूर्व सूचना जाब्ते के पास हो कि अभियुक्त इस रोड़ से कोई माल लेकर आ रहा है। गवाह पी.डब्ल्यू.2 राकेश कमार ने भी अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि धारा 50 व 42 अधिनियम की पालना नहीं की गई क्योंकि जब्ती अधिकारी या जाब्ते के पास ऐसी कोई पूर्व सूचना या विश्वास करने का कारण नहीं था कि अभियुक्त के पास मादक पदार्थ हो बल्कि उसके संदिग्ध आचरण को देखते हुए चैक करना बताया है वह भी व्यक्तिगत शरीर की सर्च न की जाकर केवल मात्र उसके पास रहे कटटे को चैक करना बताया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विधि स्थिति व न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हमारे विनम्र मत में धारा 50 अधिनियम के प्रावधान इस प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों में आकृष्ट होना नहीं पाये जाते हैं। क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकरण में आकस्मिक सर्च के दौरान अभियुक्त के संदिग्ध आचरण को देखते हुए उसके पास रहे कट्टे को चैक करने पर मादक पदार्थ गांजा होने के तथ्य की पुष्टी सभी गवाहों के द्वारा की गई है। ऐसा कोई तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं होता कि जाब्ते के पास पूर्व से अभियुक्त के पास मादक पदार्थ होने की कोई पूर्व सूचना या जानकारी रही हो। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी नहीं ली गई है। अतः धारा 50 अधिनियम के प्रावधान की प्रायोज्यता इस प्रकरण में प्रकट नहीं होती है।

विद्वान अधिवक्ता यह तर्क रहा कि चूंकि अभियुक्त की तलाशी संदेह के आधार पर ली गई है इसलिए धारा 50 अधिनियम के प्रावधान यहां आकृष्ट होते हैं। यहां हम न्यायिक दृष्टांत In State of H.P./ sunil kumar 2014 SC Hon'ble Apex court hold that

The positive suspicion entertained by the police officer cannot be equated with prior information. Mere suspicion, even it is positive suspicion or grave suspicion cannot be equated with reason to believe. There are two completely different concepts. If it is there positive suspicion and not any reason to believe then it will be cover in chance recovery. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा यह विनिर्णित किया गया है कि संदेह कितना भी गहरा क्यों न हो विश्वास करने के कारण का स्थान नहीं ले सकता और ऐसे मामले चांस रिकवरी के ही माने जायेंगे।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि धारा 42 अधिनियम की पालना नहीं की गई है। हम विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क से सहमति नहीं रखते हैं क्योंकि इस प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है कि जाब्ते के पास कोई पूर्व सूचना रही हो। आकस्मिक चैकिंग के दौरान लोक स्थान पर अभियुक्त को चैक करना बताया है इसलिए धारा 42 अधिनियम के प्रावधान भी यहां आकृष्ट नहीं होना पाया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि इस प्रकरण में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये न ही स्वतंत्र गवाह बनाने हेतु कोई सद्भाविक प्रयास ही किये गये हैं, सभी गवाह पुलिसकर्मी होकर जाब्ते के सदस्य हैं इसलिए हितबद्ध गवाह हैं इनकी साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए। इस संदर्भ में विधिक स्थिति का उल्लेख किया जाना हम उचित पाते हैं। **State of U.P. Vs Anil Singh AIR 1998 DV 1998, Gianchand & Ors Vs State of Haryana AIR SC Weekly 2013 SCW 4810, State of Govt. of NCT of Delhi Vs Sunil (2001) 1 SCC Page 652, Mohd. Rashid Vs State of Rajasthan 2014(4) Cr.L.R. Rajasthan Page 1763, Girija Prasad Vs State of MP (2007) 7 SCC Page 625** आदि मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि केवल पुलिसकर्मी होने से किन्हीं भी गवाहों की साक्ष्य की वैश्वासिकता संदेहपूर्ण नहीं होगी। **Emprar Vs Premsingh IR 1944 Lahore** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि लोकसेवक के कृत्य के बारे में उपधारणा यही है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सद्भाविक रूप से किया गया है जब तक इसका खण्डन नहीं हो। **Rohitash Vs State of Haryana JT 2013(8) SC Page 181, Parasram Vs State of Haryana AIR 1993 SC Par 1212, State of UP Vs Krishan Gopal & other (1998) 4 SCC Page 302, State of Kerela Vs M A Mehew & others (1978) 4 SCC Page 65, Mohan Singh Vs State of Rajasthan (1978) 4 SCC page 435, Mohd. Aslam Vs State of Maharastra (2001) 9 SCC, Antar Singh Vs State of Rajasthan (2004) 10 SCC Page 657** आदि मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि न्यायालय को प्रथमदृष्ट्या लोक सेवक के कृत्यों के बारे में उपधारणा करनी चाहिए कि वे विधि के अनुसरण में सद्भाविक रूप से किया गया है जब तक कि उसका खण्डन नहीं किया गया हो। **राजा खीमा बनाम स्टेट ऑफ सौराष्ट्र ए आई आर 1966 (एससी) पेज 217, हजारीलाल बनाम स्टेट एआईआर 1918 पेज 873, चरण सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1997(1) आर एल डब्ल्यू पेज 514** के मामलों

में भी माननीय न्यायालय द्वारा यही अभिमत व्यक्त किया गया कि केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में परिणाम की सफलता में हितबद्ध थे उनकी साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय और सत्यनिष्ट पाई जावे। **बलवीर सिंह बनाम स्टेट (1996) 1 एससीसी पेज 139, एम प्रभूलाल बनाम असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इन्टेलीजेंस, ए आई आर 2003 एससी पेज 4311 रविन्द्र उर्फ जॉन बनाम सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम ए आई आर 2007 एस सी पेज 2040** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत पारित किया गया कि :–

The court cannot begin with the presumption that police records are untrustworthy. As a proposition of law the presumption should be the other way around.

The wise principle of presumption which is also recognised by the legislature is that Judicial & official acts are regularly performed.

अप्पा भाई व अन्य बनाम स्टेट आफ गुजरात ए आई आर 1988 एससी पेज 969 के मामले में भी यह मत व्यक्त किया गया कि जहां :–

Prosecution with found to be cogent concincing creditworthy & reliable cannot cast doubt on the version forwarded by the prosecution it there seems to be no reason on record to falsely implicate the appellants.

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों से यह मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि केवल मात्र लोक सेवक होने या पुलिसकर्मी होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति की साक्ष्य को संदेहपूर्ण तरीके से नहीं देखा जा सकता जब कि कि इसके अन्यथा साबित नहीं किया जाएं। जहां तक स्वतंत्र गवाह बनाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में **जरनैल सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिनांक 23.01.2008, कश्मीरी लाल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 6 एससीसी पेज 595** के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि अधिकांशतः कोई व्यक्ति कानूनी पेचीदगियों और पचड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं होता है लेकिन जहां कहीं भी अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा व अन्य पुलिसकर्मियों या लोकसेवक के द्वारा अपने लोक कर्तव्यों के निष्पादन में विधिसम्मत ढंग से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है एवं उसका अभिलेख संधारित किया जाता है एवं इस संबंध में उक्त लोक कर्मी द्वारा विधिक, विश्वसनीय, सम्पुष्टिकारक साक्ष्य दी जाती है तो ऐसी साक्ष्य की महत्ता सामान्य सिविलियन साक्षीगण के बखूबी यथावत रूपे से विद्यमान रहती है जिस पर आधारित होकर दोषसिद्धि कायम की जा सकती है। इस प्रकरण में सभी गवाहों की साक्ष्य की संवीक्षा करने पर यह प्रकट होता है

कि जब्ती से पूर्व स्वतंत्र गवाह तलाशने के लिए राकेश कुमार को तलबी नोटिस गवाहान प्रदर्श पी–8 दिया गया लेकिन राकेश कुमार द्वारा वापस आकर तलबी नोटिस गवाहान पर रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार हैः–

''श्रीमान जी मूल ही हुक्मनामा वापस प्रस्तुत कर निवेदन है कि स्वतंत्र गवाहान हेतु आस–पास जाकर देखा गया तो यहां कोई आबादी आस–पास नहीं होने से स्वतंत्र गवाह नहीं मिले और आने–जाने वाले राहगीरों से कहा जाने पर कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ और नाम पते भी नहीं बताये।'' जिस पर तत्समय जाब्ता में मौजूद रहे जाकिर हुसैन व राकेश कुमार को स्वतंत्र गवाह मामूर किया गया। जहां तक घटनास्थल से आने–जाने वाले लागों का वहां से गुजरने का प्रश्न है तो हमारे विनम्र अभिमत में चूंकि आने–जाने वाले राहगीर व्यक्ति वहां के स्थायी व स्थानीय व्यक्ति नहीं होते इसलिए यह पूरी तरह से सम्भव व स्वाभाविक प्रतीत होता है कि गवाह बनने के लिए इच्छुक और तत्पर नहीं रहे हों ऐसी स्थिति प्रकरण में विद्यमान होना प्रकट नहीं होता कि कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति रही हो एवं उनके गवाह बनने हेतु तत्पर व सहमत होते हुए भी उन्हें जानबूझकर इस हेतु नहीं रखा गया हो। अभियोजन की ओर से यह तथ्य भी विधिमान्य साक्ष्य प्रस्तुत कर अथवा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों से प्रति परीक्षण कर सिद्ध नहीं किया गया है कि वस्तुतः अभियोजन कहानी के मुताबिक अभियुक्त से जब्त किया गया मादक पदार्थ स्वयं पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास गलत ढंग से प्लांट कर अभियुक्त को नाहक ही मिथ्या प्रकरण में आलिप्त किया गया हो। अभियुक्त द्वारा ऐसा भी कोई उचित या तार्किक कारण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त लोक सेवक पुलिसकर्मी अभियुक्त के विरुद्ध क्यों मिथ्या साक्ष्य देंगे और उसे मिथ्या प्रकरण में क्यों आलिप्त करेंगे। जहां पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों के द्वारा विश्वसनीय, सम्पुष्टिकारक, विधिक साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी साक्ष्य पर आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि विधिवत ढंग से की जा सकती है और ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य को शंका की दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं होगा। इस प्रकरण में सभी गवाहों ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि अभियुक्त से अचानक तलाशी के दौरान जो गांजा बरामद हुआ था उसकी जब्ती से पूर्व स्वतंत्र गवाहों की तलाश हेतु राकेश कुमार कांस्टेबिल को हुक्मनामा देकर भेजा जो प्रदर्श पी–8 है किन्तु उसके द्वारा वापस आकर बताया गया कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है जिस पर तत्समय जाब्ता में से जाकिर हुसैन व राकेश कुमार को स्वतंत्र गवाह बनाया गया। उपलब्ध तथ्यों से इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य में परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि किस स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा स्वैच्छिक गवाह बनने हेतु तत्परता दिखाने व गवाह बनने

हेतु सहमत होने के उपरांत भी उन्हें गवाह नहीं बनाया गया हो बल्कि तत्समय विद्यमान रहे तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्समय जाब्ते में मौजूद जाकिर हुसैन व राकेश कुमार को उनकी सहमति प्राप्त कर स्वतंत्र गवाह के रूप में संयोजित करना जब्ती अधिकारी ने अपने विवेक व ज्ञान से उक्त परिस्थिति में उचित समझा। जब्ती अधिकारी श्री हकीम बख्श व अन्य तत्समय उपस्थित रहे पुलिस जाब्ते के सदस्यगण से की गई जिरह से यह स्थापित नहीं हो पाता है कि तलाशी व अभिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते समय कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति की उपलब्धता रहते हुए भी उनके द्वारा स्वैच्छिक गवाह बनने हेतु तत्पर रहने के उपरांत भी उन्हें स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी के रूप में कार्यवाही में जानबूझकर संयोजित नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आम व्यक्ति पुलिस व कोर्ट कचहरी के झमेले में नहीं पड़ना चाहता और गवाह बनने हेतु गुरेज करता है तो इस संबंध में विधि अनुकूल ढंग से वांछित कार्यवाही अनुचित विलम्ब किये बिना किया जाना संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा मुनासिब समझा गया ताकि संदिग्ध व्यक्ति मौके से न भाग सके और न ही अवैध वस्तु मौके से खुर्दबुर्द हो सके। अभियुक्त का ऐसा कोई अभिवाक या प्रतिरक्षा नहीं रही है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास मादक पदार्थ मिथ्या रूप से प्लांट करवाया गया हो और अवैध और मिथ्या ढंग से अभियुक्त को आलिप्त किया गया हो। वस्तुतः तत्समय श्री हकीम बख्श द्वारा लिखित हुक्मनामा प्रदर्श पी–8 देकर जाब्ते में उपस्थित पुलिसकर्मी राकेश कुमार को स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा जाना प्रकट होता है। ऐसा अभिलेख पर नहीं है कि पुलिस द्वारा तत्समय जानबूझकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 100(4) के प्रावधान का उल्लंघन साशय या द्वेषतापूर्ण किया हो। उक्त प्रावधान की पालना किये जाने योग्य तत्समय अनुकूल व उपयुक्त स्थिति विद्यमान रही हो ऐसा मामला प्रकट नहीं होता बल्कि साक्ष्य में दर्शाई गई समस्त परिस्थितियों से यही प्रकट होता है कि मौके पर कोई व्यक्ति ऐसा उपस्थित नहीं था जो स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार व तत्पर हो और स्वतंत्र गवाह लाने वाले पुलिसकर्मी श्री राकेश कुमार के द्वारा भी यही साक्ष्य दी गई है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं था ऐसी स्थिति में पुलिस जाब्ते में तत्समय मौजूद रहे जाकिर हुसैन व राकेश कुमार जिन्हें तलाशी व अभिग्रहण की कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र साक्षी संयोजित किया गया और उक्त साक्षीगण के द्वारा भी इस संबंध में वैधानिक, विश्वसनीय तथा सम्पुष्टिकारक साक्ष्य दी गई है। उक्त साक्षीगण की अभियुक्त से पूर्व की कोई रंजिश या द्वेषता भी साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में तत्समय मौजूद रही तथ्य परिस्थितियों में स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाहों को तलाशी व अभिग्रहण की कार्यवाही में संयोजित नहीं करने के अनन्य आधार पर अभियोजन का मामला विफल नहीं होता है।

यह सही है कि जहां कहीं स्वतंत्र व निष्पक्ष गवाह आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकते हों अथवा उपस्थित व्यक्तियों से उन्हें गवाह बनने हेतु कहने पर यदि वे स्वैच्छिक ढंग से गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं अथवा बगैर उचित कारण के इंकार करते हैं तो इस संबंध में उचित विधिक प्रावधान के तहत उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, परन्तु उन्हें उनकी इच्छा के विपरीत जबरन या बलपूर्वक गवाह बनने हेतु विवश नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में भी घटनास्थल आबादी क्षेत्र से दूर होना बताया गया है जहां राहगीर आ जा रहे थे, चूंकि राहगीर स्थानीय व्यक्ति नहीं होते तथा उस समय उनको गन्तव्य स्थान के लिए जाना होता है। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से स्वाभाविक व सम्भव प्रकट होता है कि उन्हें गवाह मामूर नहीं किया गया। वैसे भी गवाह तलाशने वाले पुलिसकर्मी श्री राकेश कुमार पी.डब्ल्यू.2 ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि उन्हें लिखित नोटिस देकर स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा गया था लेकिन कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ था। जिरह में पी.डब्ल्यू.2 राकेश कुमार ने यद्यपि यह स्वीकार किया है कि उसने गवाह बनाने का प्रयास किया था लेकिन कोई गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ लेकिन जैसा कि हमने ऊपर उल्लेखित किया है कि राहगीर जो अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं वे चूंकि वहां के रहने वाले स्थाई निवासी नहीं हैं तथा अन्य कोई स्वतंत्र गवाह राकेश कुमार को तलाशने के बावजूद भी नहीं मिला और कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ इस पर जाब्ते में से जाकिर हुसैन व राकेश कुमार से स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाहने पर उन दोनों के द्वारा स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति दी गई एवं उन्हें स्वतंत्र गवाह बनाकर अभिग्रहण की कार्यवाही की गई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में केवल मात्र स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये गये, के आधार पर अभियुक्त को इसका लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि गवाहों के बयानों में काफी विरोधाभास जैसे एफआईआर व फर्द जब्ती में प्राईवेट बाहनों से जाना बताया है जबकि गवाह संख्या 1, 2 व 7 ने अपना अलग अलग मोटरसाईकिलों से घटनास्थल पर जाना बताया है जबकि एफआईआर में प्राईवट वाहनों की संख्या व प्रकार नहीं बताये गये हैं। इस सम्बन्ध में हमारे विनम्र मत में उक्त विरोधाभास को कोई बहुत भारी या सारभूत विरोधाभास नहीं माना जा सकता। जहां कि एफआईआर व फर्द जब्ती में प्राईवेट बाहन होना बताया है जिसका विस्तृत विवरण अपने बयानों में पूछने पर पृथक पृथक मोटरसाईकिल अंकित किया गया है। यह लोप ऐसा सारभूत विरोधाभास या लोप नहीं माना जा सकता जो कि संपूर्ण अभियोजन कहानी को शिथिल बना दे। यहां पर हम न्यायिक दृष्टांत Sohrab & another Vs The State of MP AIR 1972 SC 2020, State of UP Vs M.R.Anthony AIR 1985 SC 48, Bharwada Bhogini Bhai Vs State of Gujrat

AIR 1983 SC 753, State of Rajasthan Vs Omprakash AIR 2007 SC 2257, Prithvi @ Prithichand & another Vs State of Himachal Pradesh (2009) 1 SCC 588, State of UP Vs Santosh Kumar & another (2009) 9 SCC 626, State Vs Saravanan and Another AIR 2009 SC 151. उक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया हैः–

It is settled proposition of law that even if there are some omission, contradictions and discrepancies, the entire evidence can not be disregarded. After exercising care and caution and siftting through the evidence to seperate truth from untruth, exaggeration and improvements the court comes to a conclusion as to whether the residuary evidence is sufficient to convict the accused. Thus an undue importance should not be attached to omissions, contradictions and discrepancies which do not go to the heart of the matter and shake the basic version of the prosecution's witness. As the mental abilities of the human being can not be expacted to be offened to absorb all the details of the incident. Minor discrepancies are bound to occur in the statements of witnesses.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जब तक इस प्रकार के सारभूत विरोधाभास नहीं हों जो कि अभियोजन के आधारभूत भाग पर प्रहार कर सकें तब तक उनको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। योग्य अधिवक्ता अभ्यियुक्त का यह भी तर्क रहा कि तीनों पुलिसकर्मियों ने जिस जगह पर खड़े होना बताया है उस हिसाब से नक्शे मौके में जो स्थिति बताई गई है वह और गवाहों के कथनानुसार जो स्थिति बताई गई है वह विरोधाभसी है, किन्तु विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क में हम कोई सार नहीं पाते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के तथ्यों को याद रखने और उन्हें व्यक्त करने की क्षमता भिन्न–भिन्न होती है। गवाह पी.डब्ल्यू.1 ने जिरह में 20–25 मीटर दूर से अभियुक्त को देखना बताया है। गवाह पी.डब्ल्य.2 ने जिरह में 10–20 कदम से अभियुक्त को देखना बताया है एवं गवाह पी.डब्ल्यू.7 ने 10–15 कदम की दूरी से देखना बताया है लेकिन तीनों ही गवाहों के द्वारा अभियुक्त को नजदीकी से ही देखना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू.1 अपनी जिरह में सरस दूध की डेयरी 30 मीटर की दूरी पर होना बताया। अन्य गवाहों ने सरस दूध डेयरी घटनास्थल के पास ही होना बताया है। सभी गवाहों ने अभियुक्त को भागने की कोशिश करना बताया तथा सभी ने अभियुक्त की गाड़ी का बंद हो जाना बताया है। इसलिए सभी गवाहों ने समरूपता से साक्ष्य प्रस्तुत की है। जहां तक सूक्ष्म विरोधाभासों का प्रश्न है तो घटना के काफी समय पश्चात बयान लेखबद्ध होते हैं और जो साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है वह गवाहों द्वारा अपनी यादास्त के मुताबिक बयान लेखबद्ध कराये हैं। इसलिए सूक्ष्म प्रकृति के विरोधाभास आना स्वाभाविक व सम्भव हैं ऐसा कोई विशिष्ट व सारभूत विरोधाभास नहीं है जो कि अभियोजन कहानी के सारभूत भाग पर प्रहार कर सके। ऐसी स्थिति में अपनी बहस के दौरान जो तर्क योग्य अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा

उठाये गये हैं वह इस प्रकृति के तर्क प्रतीत नहीं होते जो कि अभियुक्त को लाभ प्रदत्त करा सकें।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। इस संदर्भ में हमारे विनम्र मत में यह सही है कि आपराधिक प्रकरणों में जहां कहीं तात्विक प्रकृति का विरोधाभास, लोप, अभिवृद्धि यदि पाई जाती है तो निश्चित रूप से अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र बनता है परन्तु वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं है केवल मात्र मामूली प्रकृति के विरोधाभास, लोप, अभिवृद्धि अभियुक्त को दोषमुक्ति प्रदान नहीं करवा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क कि इस प्रकरण में धारा 57 अधिनियम की पालना नहीं की गई है। इस तर्क से भी हम सहमत नहीं है। धारा 57 अधिनियम के प्रावधान आज्ञापक नहीं है बल्कि प्रक्रियात्मक हैं। **राजस्थान राज्य बनाम जगराज उर्फ हंसा 2016 सीआर.एल.जे. एससी पेज 649 एवं दीपचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आर एल डब्ल्य. 1995 (2) राजस्थान पेज 360, बहादुर जंगली चव्वन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2008 सीआर.एल.जे. (एनओसी) 324 बॉम्बे** के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि धारा 57 अधिनियम का उद्देश्य बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराना है। इस प्रकरण में जब्ती अधिकारी द्वारा इस तथ्य को प्रमाणित किया गया है कि उनके द्वारा धारा 57 अधिनियम की सूचनाएं उच्चाधिकारियों को विहित अवधि में भेजी गई थीं जो सूचनाएं प्रदर्श पी–9 व 10 होना बताया है। प्रदर्श पी–9 पर पर ए से बी प्राप्ति नोट अंकित है जिसमें प्राप्ति का समय 04:30 पीएम एवं दिनांक 05.09.2017 और सी से डी दो जगह थानाधिकारी के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। इसी प्रकार पुलिस उप अधीक्षक वृत्त चतुर्थ कोटा शहर को दी गई दफा 57 अधिनियम की सूचना प्रति प्रदर्श पी–10 होना बताया है। प्रदर्श पी–10 पर ए से बी भाग में सूचना वाहक का नाम व नम्बर अंकित है जो दिनांक 05.09.2017 को ही समय 05:00 पीएम पर उप अधीक्षक वृत्त चतुर्थ कोटा द्वारा प्राप्त किये जाने का नोट अंकित है जिस पर भी सी से डी दो जगह थानाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। उक्त सूचनाएं जरिये कांस्टेबिल हेमराज नं.338 के प्रेषित की गईं जिसके संबंध में प्रति परीक्षण में भी इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है। जब्ती अधिकारी द्वारा इस संबंध में रोजनामचा को भी प्रमाणित किया है। कांस्टेबल हेमराज को धारा 57 अधिनियम की सूचना देकर भेजा जाना तथा हेमराज की रवानगी व वापसी थाना आने की असल रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–39 व पी–40 होना बताया है। इस संबंध में गवाह हेमराज की साक्ष्य न्यायालय में लेखबद्ध की गई है जिसने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 5.09.17 को कानि0 के पद पर थाना अनन्तपुरा कोटा में तैनात था। उस दिन वह मुकदमा नं 349/17 धारा 8/20 अधिनियम थाना

अनन्तपुरा कोटा में एसएचओ साहब के आदेशानुसार धारा 57 अधिनियम की सूचना देने हेतु रवाना हुआ था। रवाना होकर श्रीमान एसपी साहब कार्यालय पर पहुँचा जहॉ पर समय 04:30 पीएम पर श्रीमान को एक प्रति सूचना की दी गई व एक पर रसीद प्राप्त की और रवाना होकर श्रीमान सीओ साहब के तृतीय के कार्यालय पहुँचा। जहॉ समय 05:00 पीएम पर श्रीमान को एक प्रति सूचना की दी गई व एक प्रति पर रसीद प्राप्त कर रवाना होकर वापसी थाना पर रोजनामचा लेखक हैड कानि0 श्री सीताराम के सुपुर्द की। एसपी साहब को दी गई धारा 57 अधिनियम की सूचना की प्रति प्रदर्श पी–9 व सीओ साहब को दी गई दफा 57 अधिनियम की सूचना की प्रति प्रदर्श पी–10 होना बताया है। प्रति परीक्षण में गवाह की साक्ष्य पूरी तरह से अखण्डित रही है। जिरह में गवाह ने कथन किया है कि सूचना उसे खुली हुई दी थी जो एक प्रति में दी और इस तथ्य को गलत बताया कि सूचना उसने वहां पर बैठे बाबू को दी हो बल्कि साहब को दी थी। इस तथ्य की पुष्टि सूचना प्रदर्श पी–9 से होती है। गवाह पी.डब्ल्यू.8 अनिल जोशी द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 05.09.2017 को थाना अनंतपुरा में सीआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 349/2017 धारा 8/20 अधिनियम में धारा 57 अधिनियम की सूचना एसपी साहब व सीओ साहब को जरिये कांस्टेबिल हेमराज भिजवाई जो प्रदर्श पी–9 व पी–10 हैं। एसपी कोटा शहर को दी गई दफा 57 अधिनियम की सूचना की प्रति प्रदर्श पी–9 पर ए बी एसपी साहब का प्राप्ति नोट मय हस्ताक्षर दिनांक व समय के अंकित है, सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। सीओ चतुर्थ कोटा को दी गई दफा 57 अधिनियम की सूचना की प्रति प्रदर्श पी–10 पर ए बी सीओ साहब का प्राप्ति नोट मय हस्ताक्षर दिनांक व समय के अंकित है, सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में गवाह ने अभिकथित किया है कि धारा 57 अधिनियम की सूचना प्रकरण दर्ज होने के अगले दिन भिजवाई जो कांस्टेबल 04:00 बजे के करीब लेकर रवाना हुआ था। धारा 57 अधिनियम की सूचना के संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अखण्डित रही हैं, ये सूचनाएं प्रदर्श पी–9 व पी–10 हैं। जिनका अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इनका डिस्पेच क्रमांक 5656–57 दिनांक 05.09.2017 है और दिनांक 05.09.2017 को ही एसपी साहब अंशुमान जी को दिया जाना तथा सीओ साहब को उक्त सूचना 05.09.2017 को ही 05:00 पीएम पर दिया जाना प्रतीत होता है जो विहित अवधि में भिजवाई गई है और इस संबंध विदवान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क को भी हम निराधार पाते हैं।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा कि इस प्रकरण में धारा 55 अधिनियम की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। जहां तक धारा 55 अधिनियम की अनुपालना एवं लिंक साक्ष्य का प्रश्न है इस संबंध में यहां धारा 55 का उल्लेख किया जाना उचित व समीचीन पाते हैं।

धारा 55. अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने सारसाधन में लेना – किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैयार किया जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किये जायेंगे।

उपरोक्त विधिक प्रावधान के अनुसरण में जब्ती अधिकारी के बयानों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जब्ती अधिकारी के बयानों का अवलोकन करने पर जब्ती अधिकारी पी. डब्ल्यू.7 हकीम बख्श द्वारा अपने बयानों में कथन किया है कि उनके दवारा मोटरसाइकिल की टंकी पर रखे प्लास्टिक के कटटे को खोलकर देखा जिसमें ठोस बटटीनुमा गांजा जमा कर रखा हुआ मिला जिसमें गांजे की बदबू आ रही थी जिसे गवाहान व स्वयं अभियुक्त ने गांजा होना बताया जिस बाबत् लाइसेंस चाहा तो नहीं होना बताया। इलेक्ट्रोनिक कांटे से कटटे का तोल किया तो 8 किलो 800 ग्राम हुआ व गांजे को बाहर निकालकर कटटे का वजन किया तो 60 ग्राम हुआ, शुद्ध गांजे का वजन 8 किलो 740 ग्राम होना पाया जिसमें से 100 ग्राम गांजा बतौर नमूना सेम्पल निकालकर एक प्लास्टिक की थेली में रखकर कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का–ए अंकित किया। इसी प्रकार 100 ग्राम ग्राजा बतौर कंट्रोल सेम्पल निकालकर उक्तानुसार सील मोहर कर मार्का–बी अंकित किया। शेष 8 किलो 540 ग्राम गांजे को उसी कटटे में राकर सील मोहर कर मार्का–सी दिया। तीनों आर्टिकल को अपनी निजी सील से सील मोहर करना, मोहर को पत्थर से तोड़कर मौके पर नष्ट करना बताया और मोटरसाइकिल को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाना और वापसी थाना पर तीनों आर्टिकल को थाने की सील से पुनः सील कर माल को मालखाना में जमा किया था और मिथुन मांझी की तलाशी में 50 रुपये व मोबाइल जरिये एचएम जमा मालखाना किया। इस संदर्भ में फर्द नमूना सील प्रदर्श पी–3 पर ई से एफ स्वयं के हस्ताक्षर तीन एक्स स्थान पर स्वयं की निजी सील का नमूना अंकित होना, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–5 पर ई से एफ, फर्द पुनः सील प्रदर्श पी–6 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित होना जी से एच एचएम मालखाना छोटूलाल के हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। धारा 55 अधिनियम का नोटिस का नोटिस माल जमा करवाने के लिए छोटूलाल को दिया जो प्रदर्श पी–34 है जिस पर ए से बी

छोटूलाल की रिपोर्ट, सी से डी छोटूलाल के हस्ताक्षर और ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है। प्रति परीक्षण में इस संबंध में साक्ष्य पूरी तरह से अखण्डित रही है। जिरह में चिट माल आर्टिकल–1 व 2 को स्वयं की कलमी होना जब्ती अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त माल को जब्ती अधिकारी के बयानों के समय न्यायालय में भौतिक सत्यापन हेतु भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें माल मार्का–ए, बी, सी व आर सेम्पल पेश हुए। मार्का–ए एफएसएल से बाद जॉच लौटा है जो एफएसएल की सील से सीलशुदा है। मार्का–ए आर्टिकल–1 की चिट चस्पा पर ए से बी उसके स्वयं के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर पाये गये, तीन एक्स स्थान पर जब्ती अधिकारी की निजी सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–बी पर जब्ती अधिकारी की निजी सील व थाने की सील से सीलशुदा पाया। मार्का–बी आर्टिकल–2 की चिट चस्पा पर ए से बी जब्ती अधिकारी के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर तथा तीन एक्स स्थान पर जब्ती अधिकारी की निजी का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–बी आर्टिकल–2 का भौतिक सत्यापन किये जाने पर अन्दर पॉलीथीन की थैली निकली जिसमें गांजा भरा हुआ निकला। मार्का–सी जिसकी धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय में सम्पादित की गई थी वह न्यायालय की चपड़ी सील से सीलशुदा था। मार्का–सी आर्टिकल–3 की चिट चस्पा पर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर ए से बी मय पदनाम के अंकित थे तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित था। मार्का–सी में से धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधि सेम्पल मार्का–आर भी न्यायालय की चपड़ी सील से सीलशुदा थाजिस पर आर्टिक्ल–4 अंकित किया गया था जिसकी चिट चस्पा पर ए से बी मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित होना, तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित था। चिट माल आर्टिक्ल–1 व 2 को जब्ती अधिकारी द्वारा स्वयं की कलमी होना बताया है। उक्त आर्टिक्ल के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है और यह तथ्य पूरी तरह अखण्डित और अक्षुण्ण रहे हैं। उक्त माल जब्ती अधिकारी के बयानों के समय न्यायालय में भौतिक सत्यापन हेतु भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें मार्का–ए बी, सी व आर सेम्पल पेश हुए। मार्का–ए एफएसएल से जांच बाद लौटा है जो एफएसएल की सील से सीलशुदा है। मार्का–ए जो एफएसएल से बाद जॉच लौटा है जो एफएसएल की सील से सीलशुदा है। मार्का–ए आर्टिकल–1 की चिट चस्पा पर ए से बी स्वयं के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षरों तथा तीन एक्स स्थान पर स्वयं की निजी सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–बी जब्ती अधिकारी की निजी सील व थाने की सील से सीलशुदा पाया गया। मार्का–बी आर्टिकल–2 की चिट चस्पा पर ए से बी जब्ती अधिकारी के, सी से डी, ई से एफ गवाहान के, जी से एच

अभियुक्त के हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर जब्ती अधिकारी की निजी सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–बी आर्टिकल–2 का भौतिक सत्यापन करने पर अन्दर अंदर पॉलीथीन की थैली निकली, थैली में गांजा भरा हुआ निकला। मार्का–सी जिसकी न्यायालय द्वारा धारा 52ए अाािनयम की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। मार्का–सी न्यायालय की चपड़ी से सीलशुदा है। मार्का–सी आर्टिकल–3 की चिट चस्पा पर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर ए से बी मय पदनाम अंकित होना, तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित होना पाया गया। मार्का–सी में से मजिस्ट्रेट साहब द्वारा धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधि सेम्पल मार्का–आर निकाला जो न्यायालय की सील चपड़ी से सीलशुदा है जो आर्टिकल–4 है जिसकी चिट चस्पा पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित होना तथा तीन एक्स स्थान पर न्यायालय की गोल सील का नमूना अंकित होना बताया गया। आर्टिकल–1 व 2 को जब्ती अधिकारी द्वारा स्वयं का कलमी होना बताया है। उक्त आर्टिकल पर किसी भी प्रकार का कोई प्रति परीक्षण नहीं किया गया है और यह तथ्य पूरी तरह से अखण्डित और अक्षुण्ण रहे हैं। न्यायिक दृष्टान्त **ज्ञान सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2013(4) काइम्स सुप्रीम कोर्ट** में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया कि जहां प्रति परीक्षण नहीं किया जायेगा वहां उनकी साक्ष्य अखण्डित व विश्वसनीय मानी जायेगी और इस गवाह से किसी प्रकार की कोई प्रति परीक्षा नहीं की गई है, इसके द्वारा अभियोजन कथानक की पूरी तरह से पुष्टि की है, इसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई उचित कारण न्यायालय के समक्ष नहीं रहता है। सीलें पूरी तरह से इंटेक्ट पाई गई थीं और माल मार्का–बी को खोलने पर अंदर पॉलीथीन की थैली में गांजा होना पाया गया जो जब्ती अधिकारी की सील से तथा थाने की सील से री–सील था। इसी संदर्भ में मालखाना प्रभारी के बयानों का अवलोकन करने पर गवाह पी. डब्ल्यू.5 छोटूलाल ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि दिनांक 04.09.2017 को वह थाना अनन्तपुरा कोटापर एचएम मालखाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन हकीम बख्श एसआई साहब ने मुकदमा नम्बर 349/2017 में जब्तशुदा सीलशुदा माल मार्का ए बी व सी सीलशुदा हालत में उसे सम्भलाये जाने पर जमा मालखाना किया जिसका इंद्राज असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14 के ए से बी भाग पर किया था जिस पर सी से डी उसके तथा ई से ण्फ हकीम बख्श के हस्ताक्षर, तीन एक्स स्थान पर थाने की नमूना सील अंकित होना बताया है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14 के क्रमांक 393/17 पर इंद्राज किया गया। गवाह छोटूलाल की साक्ष्य इस संदर्भ में प्रति परीक्षण में अखण्डित रही है। प्रदर्श पी–14 का अवलोकन करने पर प्रदर्श पी–14 में ए से बी भाग में माल जमा करने का अंकन और उस पर सी से डी छोटूलाल के, ई से एफ हकीम बख्श के हस्ताक्षर जिसमें माल मार्का ए बी व सी जमा करना, तीन एक्स

स्थान पर थाने की चस्पा होना प्रकट होता है। माल को पुनः सील करके जमा किया गया है। यह माल न्यायालय में प्रस्तुत करते समय चारों पैकेट में मार्का–ए एफएसएल की सील से, मार्का–बी जब्ती अधिकारी की निजी सील व थाने की सील से सीलशुदा पाया गया। शेष माल मार्का–सी जिसकी धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के लिए न्यायालय में पेश किया गया था इसलिए वह न्यायालय की सील से सीलबंद था और कंट्रोल सेम्पल निजी सील से एवं थाने की सील से सील्ड था और उन पर अंकित सीलें पूरी तरह से इंटेक्ट पाई गई। इस संदर्भ में हम यहां धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही का उल्लेख किया जाना उचित पाते हैं। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.6 रामकरण ने कथन किया है कि धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित कराने के लिए सीजेएम साहब को प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–16 दिनांक 20.09.17 को पेश करना बताया है जिस पर ए से बी अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी–16 पर सीजेएम साहब ने धारा 52ए अधिनियम की कार्यावाही संपादित करने के लिए जेएम 4 उत्तर कोटा को नीरज मित्तल को नियुक्त किया। जिसके संबंध में आदेश प्रदर्श पी–16 के सी से डी भाग पर अंकित है जिस पर ई से एफ सीजेएम साहब के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उस दिन जेएम 4 उत्तर कोटा ने धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित करने के लिए जब्तशुदा माल व तोल हेतु इलेक्ट्रोनिक कॉटा एवं फोटोग्राफी कैमरा मय फोटोग्राफर की व्यवस्था के साथ दिनांक 04.10.17 को कार्यवाही किये जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब की तहरीर जिस पर ए से बी अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर होना बताया है जिसके संबंध में न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–18 तथा इससे संबंधित आदेशिकाएं प्रदर्श पी–19 व प्रदर्श पी–20 होना बताया है। दिनांक 10.10.17 को मजिस्ट्रेट साहब ने जब्तशुदा माल के संबंध में धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही संपादित की। जिसके संबंध में न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी–21 होना बताया जिस पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर व सी से डी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्ष मय पद नाम अंकित अभिकथित किया है। इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पद नाम अंकित होना तथा सी से डी स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–23 होना जिस पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पद नाम अंकित होना बताया है और यह कथन किया है कि धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के संबंध में मजिस्ट्रेट साहब द्वारा फोटोग्राफी करवाई थी जिसके संबंध में खिंचवाए गए फोटोग्राफ प्रदर्श पी–24 लगायत प्रदर्श पी–32 हैं जिन पर ए से बी मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पद नाम अंकित होना बताया है। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के दौरान विडियोग्राफी करवाई गई जिसकी सीडी प्रदर्श पी–33 होना अभिकथित किया गया है। प्रति परीक्षण में इस संदर्भ में गवाह की साक्ष्य पूरी तरह से अखण्डित रही है और धारा 52ए अधिनियम

की कार्यवाही के संदर्भ में प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया जो इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा सके। इस संबंध में कोई जिरह किया जाना भी प्रकट नहीं होता है और अनुसंाान अधिकारी की साक्ष्य इस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से अखण्डित रही है इसलिए उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण भी न्यायालय के समक्ष नहीं रहता। इसी संदर्भ में गवाह पी.डब्ल्यू.5 छोटूलाल के बयानों का अवलोकन करने पर गवाह ने कथन किया है कि दिनांक 10.10.2017 को प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री रामकरण एसआई के साथ धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही कराने के लिए माल मार्का सी व बी मालखाना से लेकर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–4 उत्तर कोटा में रवाना हुए, न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब ने धारा 52ए अधिनियम कीकाग्रवाही सम्पादित कर माल मार्का–सी, रिप्रिजेन्टेटिव सेम्पल मार्का–आर, कंट्रोल सेम्पल मार्का–बी वापस लौटाये जिन्हें लेकर अनुसंधान अधिकारी के साथ वापस थाने आया और वापस आकर माल को पुनः जमा मालखाना किया। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही सम्पादित कराने के लिए न्यायालय में रवाना हुए उसकी रवानगी का इंद्राज प्रर्दा पी–14 के एम से एन भाग पर किया गया। मजिस्ट्रेट साहब द्वारा धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के पश्चात् माल मार्का–सी, मार्का–आर, मार्का–बी वापस सुपुर्द किये जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–14 के ओ से पी भाग पर किया जिस पर क्यू से आर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर मय पदनाम अंकित होना तथा तीन वाई स्थान पर न्यायालय की सील का नमूना अंकित होना तथा माल लेकर वापस थाने आये जिसका इंद्राज प्रदर्श पी–14 के एस से टी भाग पर किया हुआ है। प्रति परीक्षण में इस संदर्भ में इस गवाह की साक्ष्य भी अखण्डित रही है और इस तथ्य को गवाह ने स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी–14 में धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही हेतु मालखाना से माल न्यायालय के लिए भेजा इसका इंद्राज नहीं है ल`किन रवानगी रपट संख्या अंकित की हुई है। प्रदर्श पी–14 को देखने पर यह प्रकट होता है कि यद्यपि उसमें पृथक से इंद्राज नहीं किया गया है लेकिन धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के उपरांत माल मार्का–सी, मार्का–आर, कंट्रोल सेम्पल मार्का–बी सुपुर्द किये गये का नोट अंकित है जिस पर मजिस्ट्रेट साहब के हस्ताक्षर भी अंकित है और वापसी का समय व रपट संख्या का इंद्राज अंकित किया गया है। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर मौजूद हैं जिसमें प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–16, धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही से संबंधित आदेशिकाएं प्रदर्श पी–18 लगायत प्रदर्श पी–21, इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी–22 है जिसमें मादक द्रव्य पदार्थ का विवरण व पैकिंग का तरीका, मादक पदार्थ की अन्य विशिष्टयां इत्यादि का विवरण अंकित है जिसमें माल मार्का–बी व सी के संबंध में ही पूर्ण विवरण अंकित है तथा मार्का–सी शेष माल में से प्रतिनिधि सेम्पल मार्का–आर निकाले जाने के अंकन व पैकिंग का तारीका उसी अनुसार बताया गया है जिस प्रकार से जब्ती अधिकारी द्वारा बताया

गया था जिस पर सीलें भी इंटेक्ट पाई गई है। आदेशिका प्रदर्श पी–21 पर उनके द्वारा प्रकरण में जब्तशुदा सम्भावित अवैध मादक पदार्थ काले भूरे रंग का डंठल पत्तीनुमा पदार्थ जिसकी सिल्ली जमी हुई मार्का आर्टिकल–सी, कंट्रोल सेम्पल मार्का आर्टिकल–बी पेश किये जिन पर जब्ती अधिकारी की सील व एसएचओ की सील अंकित थी। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि मौके पर जब्ती अधिकारी की निजी सील व थाने पर लाकर माल को पुनः थाने की सील से सील किया गया था और सीलें इंटेक्ट अवस्था में होना पाई गई। ऐसा कोई तथ्य धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही में नहीं पाया जाता जिससे कि सीलों को टेम्परविद किया गया हो, इससे संबंधित इन्वेन्ट्री रिपोर्ट में समस्त विवरण अंकित किया गया जिसके संबंध में दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–33 जारी किया गया। नमूना सेम्पल को धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही करते समय संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने पर भी सील इंटेक्ट अवस्था में पाई गई है और मोड ऑफ पैकिंग वही पाया गया जो जब्ती अधिकारी व अन्य मौके के गवाहों द्वारा मौके की कार्यवाही का समय वर्णित किया गया है। इस समस्त कार्यवाही को संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापित कर प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–33 जारी किया गया है। धारा 55 अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–34 जब्ती अधिकारी द्वारा मालखाना इंचार्ज छोटूलाल को दिया गया जिसमें भी जब्तशुदा माल का विवरण अंकित किया हुआ है जिसके ए से बी भाग में अंकित हैः– **श्रीमान् जी कार्यवाही हाजा के तीन पैकेट मार्का ए बी व सी को सील्ड चिट व पुनः सील्ड हालत में प्राप्त कर मालखाना रजिस्टर कमांक 393 दिनांक 04.09. 2017 पर इंद्राज कर जमा मालखाना किये गये।** उक्त नोटिस पर सी से डी मालखाना इंचार्ज के व ई से एफ जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार धारा 55 अधिनियम की पालना और धारा 52ए अधिनियम की भी पालना इस प्रकरण में सुनिश्चित होना प्रकट होता है। प्रति परीक्षण में किसी प्रकार का कोई खण्डन उक्त संबंध में नहीं हुआ है और सीलें भी पूरी तरह से इंटेक्ट पाई गई हैं।

उक्त माल मालखाना में जमा कराये जाने से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रासायनिक जॉच और न्यायालय में पेश किये जाने तक यह माल इंटेक्ट अवस्था में रहा और सीलें अखण्डित व अक्षुण रहीं। इस संबंध में समस्त साक्ष्य श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत की गई है। जब्ती अधिकारी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि इन्होंने माल को मालखाना में जमा कराया। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–14 के ए से बी भाग में माल जमा कराने का इंद्राज, सी से डी मालखाना इंचार्ज छोटूलाल के हस्ताक्षर और ई से एफ पेशकर्ता में जब्ती अधिकारी हकीम बख्श के हस्ताक्षर होना, तीन एक्स स्थान पर थाने की सील का नमूना अंकित होना बताया है, धारा 55 अधिनियम का नोटिस दिया गया है। इस माल में से मौके पर जो नमूना सेम्पल

एफएसएल हेतु निकाला है उसके संबंध में जब्ती अधिकारी हकीम बख्श ने कथन किया है कि 100 ग्राम गांजा बतौर नमूना सेम्पल एक प्लास्टिक की थैली में निकालकर कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्का–ए अंकित किया गया था। इस सेम्पल को रासायनिक जॉच हेतु भेजना बताया है जिसके बारे में हरीश चंदेल कांस्टेबल को एसपी कोटा शहर के मार्फत एफएसएल भेजे जाने के संबंध में रवानगी व आमद की कम्प्यूटर की रोजनामचा रपट की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी–37 व पी–38 होना बताया है, जिरह में यह तथ्य भी अखण्डित रहा है। इसी संदर्भ में हरीश चंदेल कांस्टेबिल के बयान पी.डब्ल्यू.4 के रूप में न्यायालय में लेखबद्ध करवाये गये हैं। जिसमें गवाह ने कथन किया है कि दिनरांक 11.09.2017 को वह थाना अनन्तपुरा कोटा में तैनात था उस दिन मालखाना इंचार्ज छोटूलाल ने मुकदमा नम्बर 349/17 में जब्तशुदा मार्का–ए एसपी साहब के मार्फत एफएसएल जयपुर में जमा कराने के लिए सुपुर्द किया जिसे लेकर वह एसपी कार्यालय कोटा शहर आया जहां पर एफएसएल के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर रवाना हुआ और दिनांक 12.09.2017 को एफएसएल जयपुर में माल जमा कर रसीद संख्या 12515/17 दिनांक 12.09.2017 की प्राप्त कर अन्य राजकार्य करता हुआ दिनांक 14.09.2017 को वापस थाना आया जहां एफएसएल रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। एफएसएल जयपुर के संबंध में थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना अभिकथित किया है तथा एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–13 होना अभिकथित किया है। प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि एफएसएल जयपुर जाने–आने बाबत यात्रा टिकट पत्रावली में संलग्न नहीं है लेकिन एफएसएल जयपुर जाना बताया है और यह कथन किया है कि वह अन्य प्रकरणों का भी माल लेकर गया था और बस में बैठकर जयपुर गया था। कोटा नयापुरा बस स्टेण्ड पर 04:30 बजे पहुंचकर कोटा से जयपुर के लिए रवाना हुआ और 12 तारीख को जयपुर पहुंच गया था। रोजनामचा कम्प्यूटर में चलता है इसलिए उस पर हस्ताक्षर नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया गया है। रोजनामचा रपटों को हकीम बख्श जब्ती अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया है जो प्रदर्श पी–37 व पी–38 हैं। इस संदर्भ में प्रदर्श पी–11 का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि इसका क्रमांक 5825 दिनांक 11.09.2017 है। अग्रेषण पत्र तैयार कर पैकेट मार्का–ए दिया गया है जिसमें यह अंकित है कि दिनांक 04.09.2017 को श्री हकीम बख्श एसआई नेमय जाब्ता के अभियुक्त मिथुन मांझी पुत्र सीतू मांझी जाति मांझी उम्र 22 साल निवासी 225 जी बाम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर कोटा शहर के कब्जे से 8 किलो 740 ग्राम अवैध गांजा के थैले में रखे हुए को बतौर वजह सबूत जब्त किया। जिसमें से 100 ग्राम गांजा को रासायनिक परीक्षण हेतु नमूना सेम्पल सील्ड मोहर किया जिसे विशेष वाहक हरीश के दवारा भेजा गया जिसके साथ अग्रेषण पत्र, एफआईआर, फर्द जब्ती व नमूना सील भेजे गये हैं

और यह राय चाही गई है कि उक्त सील्ड पैकेट मार्का–ए में गांजा है अथवा नहीं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटा शहर का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 है इस पर एफएसएल वाहक हरीश चंदेल का नाम व ए से बी हस्ताक्षर है। इसके साथ भी एफआईआर, फर्द जब्ती, नमूना सील व अग्रेषण पत्र का संलग्न होना दर्शाया गया है। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–13 है इस रसीद पर पत्र संख्या वही है जो प्रदर्श पी–12 में अंकित है। इस संबंध में एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–41 है जिसका अवलोकन करने से प्रकट होता है कि इसमें भी पत्र संख्या 1085 दिनांक 11.09.2017 का हवाला है जिसका अंकन एफएसएल रसीद में भी है। इस प्रकार से एफएसएल माल भेजे जाने के संबंध में लिंक ऐवीडेंस मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एफएसएल वाहक को एफएसएल भेजे जाने के संबंध में कोई यात्रा का टिकिट पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त से जब्तशुदा मादक पदार्थ कुल 8 किलो 740 ग्राम बताया है जबकि मय बारदाना वजन 8 किलो 800 ग्राम था। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि प्रदर्श पी–3 व पी–7 में ओवरराइटिंग की गई है। उक्त तर्कों के संबंध में जहां तक एफएसएल वाहक की यात्रा टिकट का प्रश्न है केवल यात्रा टिकट के न होने से सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित नहीं हो जाती है। एफएसएल वाहक के संबंध में पत्रावली पर एफएसएल वाहक हरीश चंदेल की आमद व रवानगी की रपटें प्रदर्श पी–37 व पी–38 को जब्ती अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू.4 हरीश चंदेल ने भी स्वयं का एफएसएल जाना बताया है जिसके संबंध में थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, एसपी साहब का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–12 व एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–13 को प्रदर्शित कराया है जिनसे गवाह हरीश चंदेल का एफएसएल जयपुर प्रकरण के जब्तशुदा माल का मार्का–ए लेकर जाना और नियमानुसार एफएसएल में जमा कराया जाना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है। जहां तक जब्तशुदा माल के वजन का प्रश्न है तो इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी–1 में व गवाह पी.डब्ल्य.1, 2 व 7 के बयानों में भी प्रकरण में जब्तशुदा माल का मय बारदाना वजन 8 किलो 800 ग्राम तथा शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम होना प्रमाणित किया है। धारा 52ए अधिनियम की कार्यवाही के तहत भी माल के वजन के संबंध में सम्पूर्ण विवरण अंकित किया गया है जो कि जब्ती अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को सही और स्वाभाविक प्रकट करती है। जहां तक प्रदर्श पी–3 व प्रदर्श पी–7 में ओवर राइटिंग का प्रश्न है तो केवल मात्र इस मामूली प्रकृति की ओवर राइटिंग के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कहानी को दूषित नहीं माना जा सकता। वैसे भी उक्त तथ्यों के बाबत् अधिवक्ता अभियुक्त को गवाहों से विस्तृत रूप से जिरह करने का उनको अवसर मिला है जिसमें कहीं भी खण्डन नहीं हुआ है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उठाये गये तर्क सारहीन प्रतीत होते हैं। उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य

से भी अभियोजन सीलबंद अवस्था में अभियुक्त से जब्तशुदा माल का सेम्पल मार्का ए को सीलबंद अवस्थ में रासायनिक जॉँच हेतु भेजा गया था उक्त सेम्पल की रासायनिक जॉच होकर एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–41 प्राप्त हुई जिसका अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि :–

DESCRIPTION OF PACKET(S)

The packets (s) One in number marked A enclosed with in cloth cover, which was properly sealed bearing seal impression which tallied with the specimen seal impression forwarded. The seals were intact.

DESCRIPTION OF ARTICLE(S)

The packet marked A contained brownish green coloured dry vegetative matter consisting of flowering, fruiting tops and therir fragments having fungal appearance packed in polythene bag.The substance weighed 80 gm.

Note: Variation in weight is subjected to loss of moisture content.

RESULT OF ESXAMINATION

On microscopic & microchemical analysis:-

The sample packed in the packed marked A was found to be Ganja as described u/s 2(iii) b of the NDPS Act.1985

इसी संदर्भ में मालखाना प्रभारी पी.डब्ल्यू.5 छोटूलाल के बयानों का अवलोकन करने मालखाना प्रभारी द्वारा प्रदर्श पी–14 को प्रदर्शित कराया गया है जिसका अवलोकन करने पर प्रदर्श पी–14 पर इंद्राजात सही पाये गये। भौतिक सत्यापन के लिए माल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उस समय भी मार्का–ए एफएसएल से बाद जॉच लौटा है जो एफएसएल की सील से सील्ड था जिसकी सीलें इंटेक्ट पाई गई थीं। इस प्रकार जो मौके माल पर बरामद किया गया और मौके पर जिसमें से सेम्पल निकालकर सील मोहर किया गया उसकी सील पूरी तरह से अखण्डित पाई गई थी और वह सुरक्षित अवस्था में मालखाना में रखा गया और एफएसएल पहुंचा, एफएसएल रिपोर्ट में भी सीलें इंटेक्ट होना बताया गया है जो न्यायालय में बाद जॉच पेश हुआ तो सीलें इंटेक्ट पाई गई और एफएसएल रिपोर्ट में गांजा पाया गया इसके खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त मादक पदार्थ को रखने का कोई अनुज्ञापत्र अभियुक्त के पास नहीं था जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत की गई है जिसका कोई खण्डन नहीं हो सका है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अनुसंधान की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया गया है। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जो प्रश्न चिन्ह लगा सके। नक्शा मौका प्रदर्श पी–7 है, गवाहों के बयान नियमानसार लिये गये। इसने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि एफएसएल जयपुर में एसपी साहब के मार्फत हरीश कांस्टेबिल को माल जमा कराने के लिए भेजे जाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–11, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी–15, है। प्रति परीक्षण में इस

गवाह की साक्ष्य भी अखण्डित रही है। रोजनामचा रपटों को हकीम बख्श एसआई के द्वारा प्रमाणित किया गया है। धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान लेखबद्ध किये जाने पर अभियुक्त ने कथन किया हे कि वह निर्दोष है, झूंठा फसाया है। गांजा अभियुक्त के कब्जे से नहीं मिला हो ऐसी कोई प्रतिरक्षा वर्णित नहीं की और न ही ऐसा कोई सुझाव अभियोजन पक्ष के गवाहों को दिया गया है। यहां पर धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लेख किया जाना उचित व समीचीन पाते हैं।

धारा 106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार – जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

उक्त विधिक स्थिति के अनुसार किन्हीं विशिष्ट तथ्यों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके कि वह ज्ञान में है। यहां अभियुक्त मिथुन मांझी के द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। जहां तक यह प्रश्न है कि पुलिस ने उसे नाहक ही पकड़ लिया इस संबंध में अपनी कोई विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं की गई है कि क्या अभियुक्त को नाहक ही इस प्रकरण में झूंठा क्यों फसाया जावेगा, किसी प्रकार की रंजिश या वैमनस्यता होना भी साबित नहीं की गई है। ऐसा कोई तार्किक कारण नहीं है कि पुलिसकर्मी या जब्ती अधिकारी बिना किसी यथोचित कारण के अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त करेगा। अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में यह कथन किया है कि उसका उसके दोस्त दीपक से झगड़ा हो गया था, किन्तु उसके कारण से इस प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया हो ऐसी कोई प्रतिरक्षा या विनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित नहीं की गई है ना ही अभियोजन के किसी भी गवाह को ऐसा कोई सुझाव दिया गया है। जिससे यह प्रकट होता है कि यह केवल मात्र स्वयं के बचाव हेतु पश्चातवर्ती सोच के तहत विकसित की गई विमर्शित गढ़ी हुई प्रतिरक्षा होना प्रतीत होती है और यह प्रतिरक्षा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। यहां हम धारा 35 व 54 अधिनियम का उल्लेख किया जाना भी प्रासंगिक पाते हैं।

धारा 35 आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा –

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियेाजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण – इस धारा में ''आपराधिक मानसिक दशा'' के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है।

धारा 54, अवैध वस्तुओं के आधिपत्य से उपधारणा–

इस अधिनियम के अन्तर्गत विचारणों में, यह उपधारित किया जा सकेगा, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न किया जाये, कि अभियुक्त ने इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्न के संबंध में अपराध कारित किया–

(क) किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ,

(ख) किसी भूमि पर, जिस पर उसने कृषि की, उस पर उगाये गये किसी अफीम पोस्त, कैनेबिस पौधे अथवा कोका के पौधे,

(ग) किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन के लिए विशेष रूप से अपनाये गये किसी समूह अथवा विशेष रूप से बनाये गये कोई बर्तन, अथवा

(घ) कोई सामग्रियां, जिन पर स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन के लिए कोई प्रकिया की गई, अथवा सामग्रियों से बचे कोई अवशिष्ट जिससे किसी स्वापक औषधि अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ को उत्पादित किया गया,

आधिपत्य के लिए, जिसके लिए वह सन्तुष्टिपूर्वक हिसाब देने में असफल रहता है।

उक्त विधिक स्थिति के तहत अभियुक्त की मनःदशा व कब्जे की उपधारणा को जब तक कि खण्डित न की जाए यह प्रावधान किया गया है, अभियुक्त के कब्जे में मिली अवैध वस्तु कब्जे में रखने के संबंध में आरोपी के आपराधिक मनोदशा की उपधारणा की जायेगी। इस प्रकरण में भी इस उपधारणा का कोई खण्डन नहीं किया गया है जबकि अभियुक्त के कथनों में गांजे मिलने के तथ्य को अभियोजन के समस्त गवाहों द्वारा प्रमाणित किया गया है, न ही ऐसी कोई पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत की है कि उसकी जब्ती अधिकारी या अन्य पुलिसकर्मियों से किसी प्रकार की कोई पूर्व की रंजिश, बैमनस्यता हो जिसके कारण उसे झूंठा ही फंसाया जायेगा। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का यह कथन कि उसे प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है, यह स्वीकार किये जाने योग्य प्रकट नहीं होता। धारा 35 व 54 अधिनियम के तहत कायम की जाने वाली उपधारणा का कोई खण्डन नहीं होता है। **ज्ञानचन्द बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 (4) काइम्स 4 एससी** के मामले में माननीय न्यायालय ने यही मत व्यक्त किया कि धारा 35 अधिनियम के

तहत उपधारणा कायम की जायेगी कि अभियुक्त की आपराधिक मनोदशा थी जब तक कि अभियुक्त उसका खण्डन नहीं कर देता। **नूर आगा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2008 (7) किमिनल लॉ जरनल पेज 331** में यही मत व्यक्त किया गया कि जहां अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद होना अभियोजन पक्ष साबित कर देता है तो वहां उसको खण्डित खण्डित करने का भार अभियुक्त पर होता है। इस प्रकरण में अभियुक्त ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह मोटरसाइकिल से जा रहा था रास्ते में पकड़ लिया। इस प्रकार अभियुक्त का तत्समय मोटरसाइकिल से जाना और पुलिस द्वारा पकड़ा जाना स्वीकार किया है। अभियोजन के गवाहों ने अभियुक्त के कब्जे में गांजा होना साबित किया है। ऐसी स्थिति में गांजा को कब्जे में रखने की आपराधिक मनोदशा अभियुक्त की न हो यह साबित करने का भार अभियुक्त पर शिफ्ट हो जाता है लेकिन अभियुक्त ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई और न ही अभियोजन पक्ष के गवाहों को ऐसा कोई सुझाव दिया है जिससे यह प्रकट हो सके कि अभियुक्त की अपराध कारित करने की आपराधिक मनोदशा तत्समय नहीं थी जबकि उसके कब्जे से मादक पदार्थ बरामद होना अभियोजन के समस्त साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। आपराधिक प्रकरणों में अपुष्ट, अवैधानिक व अविश्वसनीय ढंग से ली गई प्रतिरक्षा अभियुक्त को आरोपित जुर्म हेतु दोषमुक्ति प्रदान नहीं करती। अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या लिप्त करने की कोई सम्भावना या कारण प्रकट नहीं होता है न ही अभियुक्त के द्वारा ऐसा कोई कथन किसी भी पुलिसकर्मी, जब्ती अधिकारी से कोई पूर्व रंजिश या द्वेषता रही हो। अभियुक्त मिथुन मांझी के चैतन्य कब्जे में रहे प्लास्टिक के कब्टे में मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। अतः अपराध की वांछित उपधारणा जो कि धारा 35 व 54 में मानसिक दशा व कब्जे हेतु उपधारित की जा सकती है ऐसी उपयुक्त स्थिति विद्यमान है। अतः अभियुक्त मिथुन मांझी के विरुद्ध आरोप समस्त साक्ष्य से संदेह से परे साबित होता है।

अभियुक्त मिथुन मांझी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध ठोस, सुदृढ़, विश्वसनीय एवं वैधानिक साक्ष्य इस आशय की प्रस्तुत की है कि अभियुक्त के कब्जे में रहे प्लास्टिक के कटटे में से शुद्ध 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है जिसका कोई अनुज्ञापत्र उसके पास नहीं था और यह रासायनिक जॉच के उपरांत गांजा होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मिथुन मांझी को उस पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभाव पदार्थ अधि0 1985 के तहत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

:: **<u>आदेश</u>** ::

परिणामतः अभियुक्त मिथुन मांझी पुत्र मिटठू मांझी जाति मांझी (बंगाली) निवासी 225–जी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर, कोटा (राजस्थान) को आरोपित अपराध

धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत दोषसिद्ध करार दिया जाता है।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण कोटा

निर्णय आज दिनांक 22.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण कोटा

सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त मिथुन मांझी द्वारा निवेदन किया कि उसका यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त नवयुवक है जिसके विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक रिकार्ड पत्रावली पर नहीं है। अतः तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए नरमी का रुख अपनाया जावे। जबकि विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियुक्त के कब्जाधीन रहे प्लास्टिक के कटटे में से शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बगैर विधिक अनुज्ञापत्र के बरामद किया गया है तथा इस प्रकार के मामलों में न्यायालय को सख्ती बरतते हुए कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाए जिससे एक आदर्श प्रस्तुत हो और अवैध पदार्थों का व्यापार करने वालों पर अंकुश लगे। न्यायिक दृष्टान्त **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रींचद 2005 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एससी) पेज 127** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि प्रत्येक अपराधी को उचित दण्ड दिया जाना आवश्यक है जिससे समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हो।

दोनों पक्षों को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त मिथुन मांझी के आधिपत्य में रहे प्लास्टिक के कटटे में से शुद्ध वजन 8 किलो 740 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। चूंकि इस अधिनियम की इस उद्देश्य से ही संरचना की गई है कि समाज में व्याप्त इस बुराई पर सक्रिय एवं प्रभावशील नियंत्रण हो। यह अपराध सामाजिक अपराध होकर केवल मात्र समाज को ही कुप्रभावित नहीं करता बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में सम्पूर्ण राष्ट्र को क्षतिग्रस्त कर देता है। इस प्रकार के पदार्थों पर इनके अवैध व्यापार व तस्करी की रोकथाम करते हुए अंकुश लगाया जाना अत्यावश्यक है जिससे समाज में स्वतंत्र संदेश पहुंचे और अपराधी को उसके अपराध का उचित दण्ड मिले। उक्त तथ्य परिस्थितियों के मद्देनज़र न्यायालय अभियुक्त मिथुन मांझी को निम्नानुसार दण्डादिष्ट करने के आदेश प्रदान करता है।

:: दण्डादेश ::

अभियुक्त मिथुन मांझी को जुर्म धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत अभियुक्त को 5 (पांच) वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड रुपये 50,000/–रुपये (अक्षरे पचास हजार रुपये) से दण्डादिष्ट किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 2 (दो) माह का कठोर कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

अभियुक्त धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नियमानुसार मुजरा प्राप्त करेगा। निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे। अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु सजा वारन्ट मूर्तिब किया जाकर अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु केन्द्रीय कारागृह कोटा को इस निर्देश के साथ भेजा जावे कि मुताबिक सजा वारन्ट अभियुक्त को सजा भुगताई जावे।

मामले में जब्तशुदा मादक पदार्थ का विधि अनुसार निस्तारण सम्बन्धित विभाग से बाद मियाद अपील इस संबंध में गठित कमेटी व माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 652/2012 सुप्रीम कोर्ट दिनांक 28.01.2016 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार सम्बन्धित मालखाना प्रभारी द्वारा करवाया जावे। प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त मिथुन मांझी की गिरफ्तारी के समय ली गई जामा तलाशी में एक मोबाइल एवं 50/–रुपये नकद जिनको मादक पदार्थ बिक्री की राशि होना नहीं बताया गया है को बाद मियाद अपील बऐवज रसीद उक्तानुसार अभियुक्त मिथुन मांझी को लौटाये जावें।

मामले में पुलिस द्वारा जब्तशुदा मोटरसाइकिल नम्बर आरजे–20–जेएस–6571 जब्त की गई है । अभियुक्त के कब्जे में रहे कटटे से मादक पदाथ्र की बरामदगी साबित हुई है वाहन से नहीं। अतः उक्त मोटरसाइकिल मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठू मांझी जाति मांझी बंगाली निवासी मकान नम्बर 225–जी बॉम्बे योजना ट्रक यूनियन के सामने थाना महावीरनगर, कोटा (राजस्थान) के नाम से पंजीकृत है। अतः उक्त मोटरसाइकिल पंजीकृत स्वामी मिथुन मांझी पुत्र मिट्ठू मांझी को बाद मियाद अपील बऐवज रसीद सुपुर्द की जावे। इस हेतु सम्बन्धित मालखाना प्रभारी को तहरीर जारी हो।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण कोटा

दण्डादेश आज दिनांक 22.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस.प्रकरण कोटा